कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

जागृति

वर्ष 61 अंक 9 मुंबई अगस्त 2017

खादी पर जी.एस.टी.हेतु विचार-विमर्श के लिए एम.एस.एम.ई. मंत्री और आयोग के अध्यक्ष की खादी संस्थाओं के साथ बैठक

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वर्ष 61 अंक 9 मुंबई अगस्त 2017

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

सम्पादक मंडल

श्रीमती ऊषा सुरेश

सम्पादक
के. एस. राव

उप सम्पादक
सुबोध कुमार

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
सरस्वती खनका

वरिष्ठ कलाकार
संजय एस. सोमदे

कलाकार
चंद्रशेखर पुनवटकर,
दिलीप पालकर

के. सुब्बाराव, द्वारा प्रचार, फिल्म एवं
लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
ग्रामोदय,3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),
मुम्बई - 400 056 के लिए प्रकाशित
टेलिफैक्स: 022-26719465
ई-मेल: jagritikvic@gmail.com वेबसाईट: www.kvic.org.in

प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड,
विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 में प्रकाशित

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा व्यक्त विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा सम्पादक सहमत हों।

इस अंक में...

समाचार सार 3 से 20

खादी को मिल सकती है जीएसटी में छूट........
जीएसटी से शानदार मौके बनेंगे- कलराज मिश्र........
आयोग का उन्नत डिजाइन, प्रशिक्षण में सुधार हेतु निफ्ट के साथ समझौता........
आयोग ने उन्नत डिजाइन, प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए निफ्ट के साथ समझौता किया........
टेक्सटाइल इण्डिया 2017 में अध्यक्ष महोदय ने आयोग के स्टाल का उद्घाटन किया........
हैदराबाद में जीएसटी पर कार्यशाला........
आयोग ने विश्व के विशालतम काष्ठ चरखे की पहली वर्षगांठ........
हरियाणा खादी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा राज्य कार्यालय, अंबाला कैंट का दौरा........
गवर्नमेंट-ई-मार्केट(जीइएम) में प्रवेश हेतु आयोग की विशेष........
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा आयोग के राज्य कार्यालय, अंबाला का दौरा........
"राइज इन कश्मीर-2017"........
श्रीनगर में 400 खादी कारीगरों के साथ बैठक........
सांसद, राज्य सभा ने जम्मू में पीएमईजीपी इकाई का दौरा किया.....
कारगिल जिले के पीएमईजीपी लाभार्थियों के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम........
आयोग के अध्यक्ष द्वारा केआरडीपी योजना के तहत वर्कशेड का उद्घाटन........
शैक्षिक संस्थानों ने दीक्षांत समारोह के लिए खादी को अपनाया........
आयोग की 646वीं बैठक का कार्यवृत्त........

लेख: खादी और ग्रामोद्योग में जीएसटी - एक दृष्टिकोण......29 से 31

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ............32 से 34

खादी को मिल सकती है जीएसटी में छूट

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2017: केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने आने वाले दिनों में नये कार्यान्वित जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) ब्रैकेट से खादी उत्पादों को बाहर रखने की उम्मीद जतायी है। नए जीएसटी मानदंडों के अनुसार, खादी और ग्रामोद्योग के विभिन्न उत्पादों पर 5 से 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है।

इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में देश की खादी संस्थाओं की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि खादी उद्योगों से जुड़े बुनकरों और कत्तिनों के वृहद हित के लिए, जीएसटी पैनल ने जीएसटी छूट के फायदे और नुकसान का विश्लेषण शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, "यहां तक कि वित्त मंत्री ने मुझे आर्थिक रूप से पिछड़े बुनकरों और कत्तिनों के वित्तीय विकास के लिए जीएसटी छूट देने का आश्वासन दिया है।"

श्री मिश्र ने खादी को एक वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए सभी दूतावासों और उच्चायोगों में प्रदर्शनी आयोजित करने पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जमीन और भवनों सहित बेकार संपत्तियों पर भी चिंता व्यक्त की।

खादी क्षेत्र में कारीगरों की घटती संख्या पर चिंता

व्यक्त करते हुए केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कारीगरों को एक सतत आर्थिक विकास प्रदान किए बिना, खादी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का सपना एक मृगतृष्णा रहेगा।। "कोई भी इस कारण को नहीं जानता कि कैसे 1950 में 11 लाख से कारीगरों की संख्या अब लगभग 2 लाख तक कम हो गई है। उन्होंने कहा,"हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे खादी नाम के पेड़ की जड़े हैं। यदि हम जड़ों को दूर करने की इजाजत देंगे, तो पेड़ स्वतः ही गिर जाएगा। उन्होंने कहा, "अगर अरविंद, मफतलाल या रेमंड जैसे दिग्गज ब्राण्ड खादी के यूएसपी का इस्तेमाल करते हैं और विशाल लाभ कमाते हैं, तो हमें उन्हें कारीगरों को प्रीमियम देने की अनुमति देनी चाहिए। हमारी प्राथमिकताएं, कारीगरों के चेहरों पर आशा की किरण और खुशी का प्रतीक होनी चाहिए।। "

उन्होंने खादी सेक्टर में नए प्रवेशकों के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु और अधिक लाभप्रद प्रोत्साहनों की आवश्यकता पर जोर दिया।

दूसरी ओर, खादी के लिए जीएसटी छूट की उम्मीद करते हुए केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री

(शेष पृष्ठ 5 पर)

जीएसटी से शानदार मौके बनेंगे

- कलराज मिश्र

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज फिक्की के साथ मिलकर 'जीएसटी' और 'डिजिटल एमएसएमई' विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि मंत्रालय पूरे देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है और इसके लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने बैंकों को भी निर्देश दिया है कि वे उद्यमियों के ऋण संबंधी समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करें।

मंत्री महोदय ने आगे कहा कि जीएसटी से कर बोझ में महत्वपूर्ण कमी आयेगी और यह औपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। इस प्रकार विकास दर में बढ़ोत्तरी होगी और रोजगार सृजन के अवसर बनेंगे। इसलिए मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम को जीएसटी को एक चुनौती के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए।

श्री कलराज मिश्र ने बताया कि मंत्रालय ने जीएसटी को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) के मुख्य कार्यालय में जीएसटी कक्ष बनाये गए हैं। एनएसआईसी ने टोल फ्री नं. 1800-111-955 के साथ एक सुविधा केन्द्र भी बनाया है। अब तक एमएसएमई के प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्र अधिकारियों ने लगभग 12000 उद्यमियों को जीएसटी विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया है।

श्री मिश्र ने कहा कि उन्होंने स्वयं ही पूर्वोत्तर के गुवाहाटी और अगरतला में जीएसटी पर जानकारी दी है। मंत्री महोदय ने सभी अधिकारियों को जीएसटी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और ट्वीटर के उपयोग करने का निर्देश दिया है। इसके माध्यम से जीएसटी के संबंध में जानकारी देने व अधिसूचना प्रकाशित करने को कहा है। इसके अलावा अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के 200 अधिकारी जिलास्तर पर जीएसटी के लागू होने की निगरानी करेंगे। मंत्रालय के दो संयुक्त सचिवों को यह कार्यभार दिया गया है।

श्री मिश्र ने जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रालय की पत्रिका 'लघु उद्योग समाचार' ने जीएसटी पर एक विशेष अंक प्रकाशित किया है। मंत्रालय के सचिव को कैबिनेट

सचिव स्तरीय समीक्षा समिति में शामिल किया गया है। जीएसटी के साथ ही मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं को लागू करने संबंधी दिशा-निर्देशों का सरलीकरण किया है। पीएमईजीपी को ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली(सीपीजीआरएएमएस तथा आईजीएमएस) स्थापित की गई है। ई-कार्यालय और मोबाइल अनुकूल वेबसाइट प्रांरभ किए गए हैं। माई-एमएसएमई मोबाइल एप, एमएसएमई डाटा बैंक पोर्टल और डिजिटल एमएसएमई पोर्टल भी शुरू किए गए हैं।

मंत्री महोदय ने जानकारी देते हुए कहा कि डिजिटल एमएसएमई एक नए दृष्टिकोण के साथ प्रांरभ किया गया है। यह नया दृष्टिकोण है, उत्पादन और व्यापार प्रक्रिया के लिए आईसीटी के सहारे क्लाउड कम्प्यूटिंग ताकि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में उत्कृष्टता हासिल की जा सके।

केन्द्रीय एमएसएमई राज्यमंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण असंगठित उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान किए हैं।

केन्द्रीय एमएसएमई राज्यमंत्री श्री हरिभाई पार्थीभाई ने कहा कि एक बहुत बड़ी समानांतर अर्थव्यवस्था जो अब तक विद्यमान है, वह जीएसटी के माध्यम से औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगी। उन्होंने उद्यमियों से अपील करते हुए कहा कि इनपुट टैक्स का फायदा लेने के लिए वे अपने व्यापारियों का चुनाव सोच समझ कर करें।

एमएसएमई के सचिव श्री अरूण कुमार पांडा ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए जीएसटी के अन्तर्गत एमएसएमई क्षेत्र में आने वाली समस्याओं पर विशेष जानकारी प्रदान की। उन्होंने डिजिटल एमएसएमई जैसे आईसिटी जैसी योजनाओं का उपयोग करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में सीबीईसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उन्होंने एमएसएमई उद्यमियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया।

★★

(पृष्ठ. 3 से आगे.....)

हरिभाई पी. चौधरी ने कहा कि यह मामला पैनल के संज्ञान में लाया गया है और जल्द ही इसे सुलझाया जाएगा। उन्होंने, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना द्वारा गुजरात के विद्यालयों में खादी शुरू करने के अपूर्व प्रयासों की सराहना की।

इससे पहले, खादी उत्पादों से जुड़े लोगों की भलाई के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए, आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने अपने परिचयात्मक संबोधन में कहा कि अब समय उनकी मजदूरी में वृद्धि के लिए काम करने का आ गया है। उन्होंने कहा, "अन्य संगठनों के मुकाबले कम मजदूरी, न केवल हमारे कुशल श्रमिकों के मनोबल को नीचा गिराएगी, बल्कि इस विशेष भाग में नई पीढ़ी के उद्यमियों को आने से रोकेगी।"

देश में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर खादी संस्थाओं की गैर-लाभदायक और निष्क्रिय परिसंपत्तियों पर चिंता व्यक्त करते हुए आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि उन संपत्तियों के इष्टतम उपयोग को बनाने के लिए एक सुखद योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा, " यह संपतियां भू-माफियाओं और अराजक तत्वों के लिए हमेशा एक सुलभ लक्ष्य माना जाती है, हमें इन परिसंपत्तियों को सुधारने या निपटाने करने, तथा अलग-अलग संस्थाओं के ऋण के रूप में हमारी दीर्घ लंबित देयताओं को जमा करने, की ज़रुरत है"।

खादी कपड़े को डिजाइन करने और बेचने में रुचि रखने वाले टेक्सटाइल दिग्गजों का स्वागत करते हुए श्री सक्सेना ने खादी संस्थाओं को उनके साथ सौदा करने से पहले उनके इरादों को समझने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "सबसे पहले, उन्हें हमारे कारीगरों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना होगा और फिर उनके लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्हें एक समान नज़र रखना होगा"।

इससे पहले, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने, अपने राज्य मंत्री-श्री गिरिराज सिंह और श्री हरिभाई पी. चौधरी के साथ, पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की एवं इसके बाद खादी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

★★

टेक्सटाइल इण्डिया 2017ः

आयोग का उन्नत डिजाइन, प्रशिक्षण में सुधार हेतु निफ्ट के साथ समझौता

नई दिल्ली/अहमदाबादः विभिन्न खादी संस्थाओं हेतु डिजाइन विकास करने और प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने शनिवार को गांधीनगर में एक्सपो 'टेक्सटाइल इंडिया 2017' में केन्द्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

इस ज्ञापन की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित करते हुए श्री सक्सेना ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चिन्हित खादी संस्थाएं जब निफ्ट के साथ डिजाइन विकास और प्रशिक्षण पर काम करेगी, तो वे खादी वस्त्र और तैयार वस्त्र के उत्पादन में गुणवत्ता नियंत्रण लाने, मानकीकरण और डिजाइन इनपुट करने में सक्षम बनेगी और खादी और ग्रामोद्योग आयोग को उत्पाद विकास प्रक्रिया में निफ्ट से मदद मिलेगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, उपयुक्त खादी संस्थाओं को चिन्हित के लिए निफ्ट को समन्वय और सहयोग प्रदान करेगा - जहां निफ्ट परियोजनाएं चलाकर अपने छात्रों को ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप / परियोजनाओं के आधार पर भी शामिल कर सकता है, जिसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। दूसरी ओर, निफ्ट समझौता ज्ञापन के अनुसार परियोजनाओं और समन्वय गतिविधियों की लागत हेतु प्रबंध कर सकता है।"

इस समझौता ज्ञापन पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री के. एस. राव और निफ्ट के महानिदेशक श्रीमती शारदा मुरलीधरन ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, वस्त्र राज्य मंत्री श्री अजय टमटा और श्री विनय कुमार सक्सेना के उपस्थिति में हस्ताक्षर किये। केवीआईसी के लिए बाजार पहुंच के साथ-साथ जहां तक आवश्यक हो वहां कारीगरों के सहायतार्थ सूचना विकास हेतु निचले स्तर पर तकनीकी सहायता प्रणाली बनाने की दिशा में काम करने के प्रयास किये जाएंगे।

"इस समझौता ज्ञापन के अनुसार- निफ्ट अपने छात्रों को कम से कम तीन वर्षों तक ग्रीष्मकालीन

(शेष पृष्ठ 8 पर)

टेक्सटाइल इण्डिया 2017 में अध्यक्ष महोदय ने आयोग के स्टाल का उद्घाटन किया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने टेक्सटाइल इण्डिया 2017 में केवीआईसी स्टाल का उदघाटन 30 जून 2017 को किया।

आयोग के स्टाल पर खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली; सर्वोदय आश्रम, एटा; खादी ग्रामोद्योग संघ, राजकोट; सघन क्षेत्र योजना, वांडा; फुलकारी हेंडिक्राफ्ट, पटियाला (पंजाब), वाणी; खादी ग्रामोद्योग संघ, सुरेन्द्रनगर, मोरल फाइबर इत्यादि ने अपने उत्कृष्ट खादी उत्पादों को प्रदर्शित किया और खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति, अहमदाबाद ने **सोलर चरखा, पेटी चरखा** का जीवांत प्रदर्शन किया। आगंतुकों ने स्टाल पर प्रदर्शित खादी उत्पादों की सराहना की। उद्घाटन के दौरान अध्यक्ष महोदय के श्री एस.जी.हेडाऊ, राज्य निदेशक, अहमदाबाद, श्री अजय दोशी, एमडी, खादी ग्रामोदय संगठन, राजकोट के अलावा संस्थाओं के प्रतिनिधि और आयोग के कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने टेक्सटाइल इण्डिया 2017 में 30 जून, 2017 को गांधीनगर में रेमंड स्टॉल का दौरा किया। इस अवसर पर चित्र में श्री प्रमोद प्रधान, रेमंड से; श्री एस.जी.हेडाऊ, राज्य निदेशक, अहमदाबाद; श्री अजय दोशी, एमडी, खादी ग्रामोदय संगठन, राजकोट भी दिखाई दे रहे हैं।

(पृष्ठ. 6 से आगे.....)

इंटर्नशिप के साथ परियोजनाओं हेतु खादी बिक्री केन्द्रों के साथ-साथ खादी संस्थाओं में विजुअल क्रय-विक्रय, डिज़ाइन विकास और योजना के लिए काम प्रदान करेगा। निफ्ट, विभिन्न स्फूर्ति क्लस्टरों में डिजाइन बनाने और उत्पाद विकास में भी सहायता प्रदान कर सकता है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने आगे कहा कि " यह समझौता खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उद्देश्य के लिए खादी डिजाइन की एक निर्देशिका का विकास और निर्माण भी करेगा। इस परियोजना अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के लिए नोडल अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक (विपणन) और निफ्ट के विभिन्न परिसरों के निदेशक होंगे।"

निफ्ट के महानिदेशक एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित उच्च अधिकारियों की एक समिति इस सयोजन (कन्वर्जंस) की

निगरानी और समन्वय करेगी। हाल ही में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी वस्त्रों की आपूर्ति करने के लिए कॉरपोरेट दिग्गजों के साथ कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और निफ्ट के साथ यह समझौता ज्ञापन, खादी संस्थाओं के लिए नए क्षितिज खोलेगा इसीलिए इसे काफी महत्व दिया गया है।

★★

टेक्सटाइल इण्डिया-2017 में:

टेक्सटाइल इंडिया 2017 के दौरान आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने खादी कार्य विकास में महिलाओं की भूमिका पर श्रीमती रेखा मान और श्रीमती येओल (महिला सशक्तिकरण राउंड टेबल चर्चा के स्पीकर) के साथ बातचीत की।

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने टेक्सटाइल इंडिया 2017 के दौरान श्री हज डोडोंग, संयुक्त निदेशक,अरुणाचल प्रदेश सरकार से मुलाकात की तथा अरुणाचल प्रदेश में खादी कार्य विकास पर चर्चा की।

टेक्सटाइल दिग्गज अरविंद मिल आयोग से खरीदेगा एक मिलियन मीटर डेनिम खादी

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 'मन की बात' में किये गए आवाहन को गंभीरता से लिया गया है, जिसमें उन्होंने खादी को कायम रखने के महत्व पर बल दिया है और देशवासियों से खादी की खरीदी करके ग्रामीण कारीगरों को सहयोग करने की अपील की है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने निगमों और पीएसयू को खादी के लिए सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम प्रदान करने हेतु एक विशेष पहल करते हुए दुनिया भर में खादी डेनिम उत्पादों का प्रसार करने के लिए, डेनिम कारोबार में अग्रणी अरविंद मिल्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति में खादी और ग्रामोद्योग आयोग और अरविंद मिल्स के मध्य एक समझौते पर अरविंद लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री पुनीत लालभाई और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.एस. राव ने अहमदाबाद में शुक्रवार को हस्ताक्षर किए। समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् श्री लालभाई ने कहा कि कंपनी की योजना प्रत्येक वर्ष करीब दस लाख मीटर की खादी डेनिम खरीदना है।

दूसरी ओर, इस समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने कहा, "यह समझौता न केवल खादी की बिक्री को सालाना 40 करोड़ रूपए तक बढ़ाएगा, बल्कि इससे सम्पूर्ण भारत में खादी कारीगरों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, जिससे उन्हें 2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री सक्सेना ने आगे बताया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग का अरविंद मिल के साथ समझौता करने से खादी के दक्ष कारीगरों के लिए अतिरिक्त 7.5 लाख मानव दिनों का रोजगार सृजन होगा। ' यह अद्वितीय श्रृंखला केवल खादी वस्त्र को संपोषित करने का अवसर ही नहीं देगी, बल्कि सम्पूर्ण भारत में स्थित गांवों के परिवारों को सशक्त

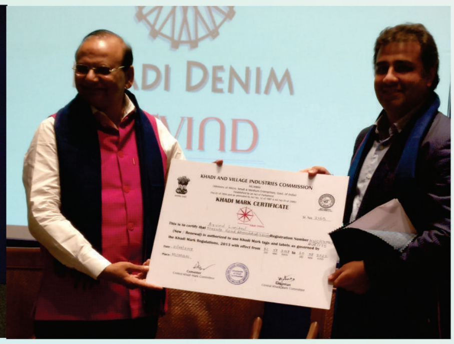

भी बनाएगी, जिससे वे अपना जीवनयापन बेहतर तरीके से कर सकेंगे। जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने हाल ही में खादी के स्थिरता के सम्बन्ध में व्यापक रूप में वर्णन किया है, हम भारत के हाथ-कत्ते, हाथ-बुने और हाथ से रंगे पारंपरिक वस्त्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि अन्य प्रसिद्ध वैश्विक वस्त्र दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।

आगे उन्होंने कहा "खादी एक मिशन है और हम खादी को अपनी विरासत के रूप में बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं - जैसा कि महात्मा गांधीजी द्वारा कल्पना गई थी। चूंकि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में कई विपणन पहल की हैं, जिससे खादी के लिए वैश्विक बाजार विकसित करने में और अपने कारीगरों को स्थायी रोजगार प्रदान करने में कंपनी और पीएसयू शामिल हो सकें। हम सभी फैशन-प्रेमी युवाओं और किशोरों के पसंद के अनुसार खादी वस्त्र बनाना चाहते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग - अरविंद लिमिटेड की यह पहल – इस वस्त्र को निरंतर कायम रखने हेतु डेनिम खादी को लॉन्च करने के लिए शुरू की गई है।"

जैसा कि विदित है कि हाल ही में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अन्य विश्वसनीय वस्त्र दिग्गजों से भी कुछ बड़े थोक में ऑर्डर प्राप्त किए हैं। जबकि आदित्य बिड़ला फ़ैशन एंड रिटेल लिमिटेड ने उत्पाद लाइन 'खादी पीटर इंग्लैंड' के विकास के लिए आयोग के साथ टाई-अप किया, अन्य वस्त्र और परिधान प्रमुख रेमंड ने हाल ही में खादी को पसंद के वस्त्र के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए दो लाख मीटर खादी वस्त्र का ऑर्डर दिया था। ★★

हैदराबाद में जीएसटी पर कार्यशाला

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने हैदराबाद में खादी संस्थाओं के लिए जीएसटी पर कार्यशाला का उद्घाटन किया।

कार्यशाला में अध्यक्ष महोदय ने एक सूत-एक राष्ट्र-खादी, एक राष्ट्र-एक कर-जीएसटी पर जोर दिया।

आयोग ने विश्व के विशालतम काष्ठ चरखे की पहली वर्षगांठ मनायी

नई दिल्ली: 5 जुलाई, 2017 ; बहुत उत्साह और उल्लास के बीच, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने बुधवार को फूल, बैनर और पोस्टर से सुसज्जित विश्व के सबसे वृहद् काष्ठ चरखे की प्रथम वर्षगांठ मनायी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तत्वावधान में बनाये गए तथा स्थापित किये गए इस वृहद् चरखे का, भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री कलराज मिश्र और एमएसएमई राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति में पिछले वर्ष 5 जुलाई को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर एक शानदार समारोह में अनावरण किया था।

यह चरखा चार टन उच्च गुणवत्ता वाले बर्मा सागौन की लकड़ी से बना है और 50 से अधिक वर्षों तक बने रहने का अनुमान है। यह 9 फीट चौड़ा, 17 फीट लम्बा और 30 फीट ऊचा है। इस कताई चरखे को बनाने का ऑर्डर प्रयोग समिति, अहमदाबाद को दिया गया था, यह साबरमति आश्रम के समीप खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक इकाई है, जहां पर 42 सुतारों ने 55 दिनों में इसे बनाया।

पर्यटकों के बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया से उत्साहित- जिन्होंने पूरे वर्ष राष्ट्र पिता महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए समानतावादी समाज को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीयों के प्रयासों की भारी प्रशंसा की, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इच्छानुसार भारतीय अहिंसा का प्रतीक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना-जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विश्व के सबसे वृहद् चरखा स्थापित करने की पहल की, जहाँ हवाई अड्डे के माध्यम से विश्व के लगभग 2,50,000 लोग/पर्यटक प्रतिदिन यात्रा करते हैं। "शुरुआती तीन माह में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किये गए आकस्मिक सर्वेक्षण के अनुसार, विदेशी यात्रियों सहित औसतन 3,250 से अधिक आगंतुकों ने प्रतिदिन इसे देखा, यात्रियों द्वारा प्रति दिन 'चरखा के साथ सेल्फि' ली गई। इन आकड़ों के आधार पर विगत वर्ष में 12 लाख से अधिक यात्रियों ने चरखा के साथ सेल्फि ली । जबकि उनमें से ज्यादातर यात्री विश्व के विभिन्न देशों में जा रहे थे, जिन्होंने दुनिया भर में अहिंसा का प्रतीक चरखा एवं इस खादी वस्त्र के प्रतीक के साथ अपनी तस्वीरों को साझा किया होगा।'

श्री सक्सेना ने आगे कहा कि देश के सबसे व्यस्त हवाईअड्डे पर विश्व का सबसे वृहद् कताई चरखा प्रदर्शित करने के पीछे विचार यह था कि स्वदेशी, स्वावलंबन (आत्मनिर्भरता) और सहभागिता (अंतरनिर्भरता) के प्रतीक के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया जाय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों ने पूरी मेहनत से दिन–रात चरखे का देखरेख और रखरखाव किया। 'यह चरखा हमारे उन अज्ञात योद्धाओं के स्मृति चिन्ह के प्रतीक तरह एवं उन अपरिचित ग्रामीण जनसमूह का प्रतीक है, जिन्होंने राष्ट्र पिता के आवाहन पर, उनके द्वारा दिखाए गए आत्मनिर्भर और श्रम की गरिमा के मार्ग को अपनाया|' ★★

केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने 11 जुलाई, 2017 को देवरिया के प्यासी गाँव में सोलर चरखा संयंत्र का उद्घाटन किया

हरियाणा खादी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा राज्य कार्यालय, अंबाला कैंट का दौरा

श्रीमती गार्गी कक्कर, अध्यक्ष, हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचकुला ने 6 जुलाई, 2017 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय, अंबाला कैंट का दौरा किया।

राज्य कार्यालय के अधिकारियों के साथ चर्चा में श्रीमती कक्कर ने कहा कि खादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में स्वयं प्रधानमंत्री ने एक खादी दूत के रूप में अपने रेडियो टॉक "मन की बात" में कई बार लोगों से खादी खरीद और खादी कपड़े को अपनाने की अपील की है। वर्तमान परिदृश्य में देश में खादी के लिए एक सकारात्मक परिदृश्य है और प्रत्येक खादी संस्था को इस अवसर को बढ़ाना चाहिए।

इसके बाद उन्होंने भी पीएमईजीपी कार्यक्रम के तहत स्थापित वाणी निर्माण टेराकोटा इकाई का दौरा किया और इकाई में महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित मिट्टी के उत्पादों की सराहना भी की। श्रीमती कक्कर ने कुरुक्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग संघ, (नारद) का दौरा किया और वहां केवीआईसी द्वारा चलायी जा रही केआरडीपी योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी), खादी भंडार और कताई और बुनाई केंद्र का निरीक्षण किया एवं उन्होंने कताई और बुनाई केंद्र में काम करने वाले कारीगरों से बातचीत भी की।

अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने कार्यालय परिसर में एक पौधा भी लगाया। इस अवसर पर उनके साथ आयोग के राज्य कार्यालय, अंबाला कैंट के राज्य निदेशक, श्री वी.के. नगर और संस्था के सचिव श्री सतपाल सैनी भी उपस्थित थे। ★★

गवर्नमेंट-ई-मार्केट(जीइएम) में प्रवेश हेतु आयोग की विशेष पहल

गवर्नमेंट-ई-मार्केट(जीइएम) पोर्टल के लिए डीजीएस एंड डी को आर.सी. मदों के लिए दरों को अंतिम रूप देने हेतु, खादी संस्थाओं के साथ एक बैठक 24 जुलाई 2017 को आयोग के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में आयोजित की गई।

इस अवसर पर ऑर्डर/आपूर्ति की स्थिति और भुगतान, रेलवे के साथ बाधाएं, डीएसओ आदि से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की गई।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि आयोग, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए बाजार को विकसित करने हेतु अपने सभी प्रयास कर रहा है। उन्होंने डीजीएस एण्ड डी के साथ उन चर्चाओं का भी उल्लेख किया जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि खादी वस्तुओं के लिए सिर्फ खादी और ग्रामोद्योग आयोग को जीएम पोर्टल पर आइटम अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी और निजी एजेंसियों को इसके लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

आयोग के अध्यक्ष ने उन खादी संस्थाओं को चेतावनी दी जो नकली खादी के उत्पादन में लगी हुई हैं और सूचित किया कि ऐसी खादी संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि संस्थाओं को मिलकर यथार्थ लागत के हिसाब से काम करना चाहिए और जीआईएम पोर्टल में अपलोड की जाने वाली वस्तुओं के लिए डीजीएसएंडडी को थोक डिस्काउंट भी प्रदान करना चाहिए।

उन्होंने यह भी बताया कि अस्पतालों के लिए आवश्यक खादी की 45 वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए खरीद नीति के दिशानिर्देशों के अनुरूप सरकारी अस्पतालों से थोक आपूर्ति आदेश मिलने की उम्मीद है। उन्होंने, खादी संस्थाओं से गुणवत्ता में सुधार करने और खादी की वास्तविकता सुनिश्चित करने और कारीगरों को जीवनपर्जक मज़दूरी प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कुछ गुजरात संस्थाओं का उदाहरण दिया, जोकि खादी कत्तिनों को 10/- प्रति हांक रुपये दे रहे हैं और कुछ संस्थाए जो एमडीए अनुदान लिए बिना खादी का उत्पादन कर रही हैं। उन्होंने, सरकारी आपूर्ति में लगी संस्थाओं से उनसे जुड़े कत्तिनों को बेहतर मजदूरी प्रदान करने का आग्रह किया।

मूल्य निर्धारण के एजेंडा मुद्दे पर चर्चा करते हुए इस पर भी विचार किया गया कि सरकारी आपूर्ति और थोक बाजार के विकास के लिए प्रचार प्रयासों को शुरू किया जाना चाहिए और आयोग के पास फंड्स सीमित है, इसलिए इसमें 5% मार्केट प्रमोशन व्यय के लिए व्यापार मार्जिन में प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा गया था जो कि

आयोग के विपणन निदेशालय के पास रखा जाएगा और इसे थोक आपूर्ति हेतु बाजार का विकास करने के लिए प्रचारक व्यय के रूप में उपयोग किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि रेमंड और अन्य कॉर्पोरेट्स को थोक आपूर्ति के लिए, खादी कारीगरों को 5% प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है और इसी तरह सरकारी आपूर्ति के ट्रेड मर्जिन्स से बाहर के कारीगरों को यही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

इस बारे में संस्थाओं ने बताया कि सरकार द्वारा एमडीए सामान्य आपूर्ति पर प्रदान की जाती है परन्तु सरकारी आपूर्ति पर नहीं। कुछ कत्तिन, सामान्य और सरकारी आपूर्ति दोनों का उत्पादन करते हैं। आगे, उसी संस्था में कुछ कत्तिनों को एमडीए प्रोत्साहन मिल रहा है क्योंकि वे सामान्य किस्मों का उत्पादन कर रहे हैं और अन्य कत्तिनों को जो सरकारी आपूर्ति उत्पादन कर रहे हैं, एमडीए के लिए पात्र नहीं हैं। यह कारीगरों के बीच असंतोष पैदा करता है।

इस बात यह चर्चा हुई कि सभी खादी गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु खादी कारीगर हैं और चूंकि एमएसएमई मंत्रालय ने सरकारी आपूर्ति पर एमडीए की अनुमति नहीं दी है, कारीगरों के लिए एमडीए प्रोत्साहन, सरकारी आपूर्ति के लिए संस्थाओं के ट्रेड मर्जिन्स से भुगतान किया जाएगा जिसके लिए मूल्य निर्धारण में आवश्यक प्रावधान किया जाना चाहिए।

बैठक के दौरान संस्थानों ने कहा कि वे 01.08.2017 से अपने खादी कत्तिनों को 10/- रूपए प्रति हांक प्रदान करेंगे और सिविल किस्मों के लिए एमडीए, 5.5 रुपये प्रति हांक तक सीमित कर दिया जाएगा।

इससे पहले, आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(विपणन) श्री के.एस. राव ने सरकारी आपूर्ति की बैठक में आयोग के अध्यक्ष, अधिकारियों और खादी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए यह सूचित किया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य जी.एम. पोर्टल के लिए डीजीएसएंडडी हेतु आरसी मदों के लिए दरों को अंतिम रूप देना था। उन्होंने, बैठक के अन्य एजेंडा जैसे ऑर्डर/आपूर्ति की स्थिति और भुगतान, रेलवे के साथ बाधाएं, डीएसओ आदि से संबंधित मुद्दों के बारे में भी जानकारी दी।

इस अवसर पर आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (खादी) श्री डी.एस.धनपाल ने संस्थाओं से बैंक खाते से कारीगर मजदूरी को जोड़ने और पारदर्शिता के लिए आधार कार्ड और मोबाइल फोन से लिंक करने का अनुरोध किया।

आयोग के निदेशक (आईटी) श्री एम. राजन बाबू ने बताया कि लगभग 65% संस्थाओं ने केवीआईसी के पोर्टल में अपने डेटा को दर्ज किया है और आधार लिंक के साथ

(शेष पृष्ठ 15 पर)

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा आयोग के राज्य कार्यालय, अंबाला का दौरा

श्री सत्य नारायण जाटिया की अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने संसद के माननीय सदस्यों - श्री हुकुम देव नारायण यादव, श्री शादीलाल बत्रा, श्री चिंतामणी मालवीय, श्रीमती रजनी पाटिल के साथ 16 जून, 2017 को आयोग राज्य कार्यालय, अंबाला का दौरा किया।

बैठक में इस अवसर पर श्री बी.एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, एमएसएमई, श्री सत्यपाल, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग; श्री वी.के.नगर, राज्य निदेशक, राज्य कार्यालय, खा.ग्रा.आ. अंबाला; श्री के.पी.सिंह, सहायक निदेशक, एमएसएमई और श्री के.पी.सिंह, सहायक निदेशक, राजभाषा, खा.ग्रा.आ. उपस्थित थे।

(पृष्ठ. 14 से आगे.....)

गवर्नमेंट-ई-मार्केट(जीइएम) में प्रवेश हेतु आयोग की विशेष........

अपने कारीगरों के विवरण दिए हैं, और जिन संस्थाओं ने ऐसा नहीं किया है, उन्हें तुरंत ऐसा करना चाहिए ताकि खादी सेक्टर में उचित निगरानी और पारदर्शिता प्राप्त की जा सके।

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने सुझाव दिया कि खादी संस्थानों द्वारा लागत में कमी के लिए विभिन्न उपायों को भी खोजा जा सकता है और सरकारी आपूर्ति के लिए डस्टर आदि जैसी वस्तुओं को बनाने के लिए पूनी अपशिष्ट का उपयोग कर एक आदर्श नमूना तैयार किया जा सकता है।

सरकारी आपूर्ति हेतु खादी के अतिरिक्त उत्पादों की पहचान के लिए एजेंडे पर भी चर्चा हुई और विचार विमर्श के बाद, बैंडेज कपड़े, खेस, परदा कपड़े, दरी, नैपकिन जैसी वस्तुए सुझायी गयी। इन वस्तुओं और मूल्यों का विवरण प्राप्त करने और चरणबद्ध तरीके से जीएम पोर्टल पर देने का प्रस्ताव किया गया।

इस अवसर पर आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस.एन. शुक्ला ने बताया कि दिल्ली में उनके साथ रेलवे बोर्ड के सदस्यों के साथ एक बैठक हुई थी, जिन्होंने बताया था कि पाली बेडशीट को धोने पर पीले रंग बदल रहे है और इस समस्या को सुधारा जाना चाहिए। इस पर उप निदेशक प्रभारी (सीसीसी) ने बताया कि पेराक्साइड ब्लीच से धुलाई करने पर एक हल्के पीले रंग का रंग छोड़ता है और इसे धोने की प्रक्रिया के दौरान सुधारा जा सकता है। इस मुद्दे पर यह निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने हेतु आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से एक पत्र रेलवे बोर्ड के सदस्य, श्री गुप्ता को जारी किया जा सकता है।

इस अवसर पर संस्थाओं द्वारा प्रभावित आपूर्ति के विरुद्ध आदेशों की भी समीक्षा की गई और यह देखा गया कि सभी आदेश पूरी तरह से पूर्ण किए गए हैं। संस्थानों द्वारा 2 प्रतिशत लंबित भुगतान और एलडी से संबंधित मुद्दे और रेलवे द्वारा भुगतान की कटौती के मुद्दे भी उठाए गए।

बैठक के दौरान संस्थाओं ने कहा कि वे सरकारी आपूर्ति के लिए ट्रेड मार्जिन से कारीगरों को सरकारी आपूर्ति पर एमडीए प्रोत्साहन भुगतान करेंगी। संस्थाओं ने खादी डेनिम का उत्पादन करने की संभावना तलाशने पर भी अपनी सहमति जताई, जिसके लिए यह तय हुआ कि अरविंद लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।

★★

"राइज इन कश्मीर-2017"

श्रीनगर, 3 जुलाई, 2017: केंद्रीय कृषि अनुसंधान एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कृषि अनुसंधान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, जैव प्रौद्योगिकी, औद्योगिक विकास, नवाचार, शिल्प, संस्कृति और सरकारी योजनाएं और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज यहाँ एसआईसीआईसीसी, श्रीनगर में 4 दिवसीय विशाल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम जन कल्याण के लिए बनाया गया है, भविष्य के निर्माताओं को उजागर करता है और गैर-मान्यता प्राप्त लोगों की उन्नति करता है।

"राइज इन कश्मीर 2017", विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रेमियों, किसानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और छात्रों के लिए एक मंच है जो नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए प्रयोगों की एक झलक एवं विभिन्न क्षेत्रों में शोध- प्रदान करता है।

केंद्रीय मंत्री के साथ सांसद राज्यसभा श्री शमशेर सिंह मनहास थे। इस अवसर पर श्री मनहास ने कहा, "इस प्रदर्शनी का लक्ष्य है-तकनीकी जानकारियों को कैसे स्थानांतरित किया जाय और आगंतुकों को नवाचारों से रूबरू कराया जाय जो कि समय की आवश्यकता है।" इस कार्यक्रम में आईएसएआर (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन), आईसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद), रेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, आईसीएमआर (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद), सीएसआईआर (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद), आईसीएआर (भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान) और कई अन्य संस्थानों ने भाग लिया। "हमारा दृष्टिकोण-एक इंटरैक्टिव मंच बनाना है जो समाज के विकास के लिए सूचनाओं का विस्तार करे। संसा फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री आनंद पाल का कहना है कि हम जमीनी स्तर से इस वर्ग के उत्थान करने का इरादा रखते हैं। इसके लिए "हम न केवल लोगों के बीच विज्ञान प्रसार कर रहे हैं, बल्कि पर्यटन, रेलवे, कृषि, चिकित्सा, कौशल विकास, हथकरघा और हस्तशिल्प का भी विकास कर रहे हैं"।

उन्होंने कहा कि संसा फाउंडेशन ने ज्ञान, संजाति वर्चस्व और पर्यटन स्थलों को भी आकर्षण बना दिया है जो आर्थिक रूप से देश के उत्थान में मदद करेगा। युवा सोच को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ एक मंडप स्थापित किया गया है, जहां विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने अपने अभिनव मॉडलों और विचारों को प्रदर्शित किया है।

आयोग कर्मचारी पुरस्कार से सम्मानित

आयोग के राज्य कार्यालय, जम्मू में पदस्थ श्री अनिल कुमार शर्मा को पीएमईजीपी ई-पोर्टल के लाइव प्रदर्शन और श्रीनगर में 3 जुलाई से एसकेआईसीसी में आयोजित 'राईस इन कश्मीर-2017' प्रदर्शनी में खादी उत्पादों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

श्रीनगर में 400 खादी कारीगरों के साथ बैठक

कारीगरों को और अधिक भुगतान किया जाना चाहिए:डॉ. हिना शफी भट

आयोग की सदस्य, उत्तर क्षेत्र डॉ. हिना शफी भट ने खादी संस्थाओं के साथ हुई बैठक में कहा कि कश्मीर घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कारीगरों को और अधिक भुगतान करना होगा क्योंकि वे वर्तमान मजदूरी प्रणाली के मुकाबले बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। डा. हिना ने श्रीनगर में 400 खादी कारीगरों के साथ एक बैठक आयोजित की और 14 जुलाई को उनकी समस्याओं की बात सुनी। बैठक में आयोग के सहायक निदेशक प्रभारी तथा विभिन्न खादी संस्थाओं के सचिव भी उपस्थित थे।

बैठक की शुरुआत में विभिन्न कारीगरों ने डॉ. हिना के समक्ष अपनी समस्याओं को उठाया। कारीगर में से एक, श्री नेहरू नूर मोहम्मद ने बताया कि पिछले दो सालों से उन्हें किसी भी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण वे कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस पर डॉ. हिना ने जगह पर ही जल्द से जल्द कारीगरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए संबंधित निर्देश जारी किए।

कारीगरों का कहना है कि वे उद्योग में प्रचलित कम मजदूरी पर लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं और इसलिए, युवा इस कला को सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। गत वर्षों में लाभ नीचे चला गया है और बहुत कम युवा लोग इसे सीखने के लिए आगे आ रहे हैं।

इस बात पर डॉ. हिना ने कहा कि क्यों कहा जा रहा है, "कारीगरों को बहुत कम भुगतान किया जाता है। ग्लैमरस शोरूम में बेचा जा रहा अंतिम उत्पाद महंगा है, लेकिन उत्पाद –उत्पादन श्रृंखला के आधार पर कारीगर बहुत कम कमाता है।

कारीगरों शिकायत की, कि 8.00 बजे से देर रात तक काम करने के बाद भी, वे सभी बहुत कम कमाते हैं। लघुचित्रों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी में गिरावट आई है। फिर भी कड़ी मेहनत की तुलना में, हम कुछ नहीं कमाते हैं।

कारीगरों को संबोधित करते हुए, डॉ. हिना ने कहा कि हमारे लिए कत्तिनों और बुनकरों का हित सर्वोपरि है और खादी से जुड़े श्रमिकों, कत्तिनों और बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए हम इस मामले को उच्चतम स्तर तक ले जाएगें ताकि कारीगरों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जा सके।

उन्होंने कहा कि हम, कारीगरों के उनके मूल गांवों में कार्यशालाओं को आयोजित करने के साथ अन्य

योजनाओं के तहत जैसे कि उनके बच्चे की शिक्षा के लिए 1200 रुपये प्रति माह और 12.00 लाख रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ कई सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कारीगरों की भुगतान प्रक्रिया में कोई बिचौलिए शामिल न हो।

उन्होंने कहा, हमारे और आपके समर्थन से युवाओं को इस कला को अपनाने के लिए प्रोत्साहित जाएगा। उसने कहा, "अगर बच्चे नए डिजाइन और प्रौद्योगिकी के साथ आते हैं, जो वैश्विक बाजार में खादी को आगे बढ़ाएंगे"।

यहां उल्लेखनीय है कि खादी उद्योग ने वित्त वर्ष 2016-17 में करीब 2,025 कारीगरों के लिए रोज़गार पैदा किए हैं, जबकि ग्रामीण उद्योग ने 4.08 लाख नौकरियों का सृजन किया है। उन्होंने कहा," हम रोजगार सृजित करने के लिए बहुत उत्सुक हैं और इसलिए हम चरखा और करघे बांट रहे हैं और पुराने चरखों को भी बदल रहे हैं"।

पिछले साल खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 5000 करोड़ रुपये था, जिसमें खादी ने 2,007 करोड़ रुपये का योगदान दिया था। इस वर्ष खादी राजस्व में 35 फीसदी की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जो 2,700 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

पिछले एक महीने में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कई टेक्सटाइल दिग्गज जैसे रेमंड और आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल के साथ सहयोग की घोषणा की है, जो जल्द ही अपने ब्रांड नामों के तहत खादी उत्पादों का लोकार्पण करेंगे।

सांसद, राज्य सभा ने जम्मू में पीएमईजीपी इकाई का दौरा किया

श्री शमशेर सिंह मन्हास, संसद सदस्य, राज्य सभा, ने अनीता देवी रेडीमेड गारमेंट्स, वार्ड 6, बिश्नाह, जम्मू में पीएमईजीपी इकाई का दौरा किया, जहां भारतीय सेना, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी आदि सशस्त्र बलों के लिए सभी प्रकार के कपड़े तैयार किये जाते हैं। इस इकाई में 25 से ज्यादा कारीगर कार्यरत हैं।

कारगिल जिले के पीएमईजीपी लाभार्थियों के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोग के उत्पाद विकास एवं विपणन केंद्र (पीएमटीसी), पंपोर ने जिला उद्योग केंद्र और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से कारगिल जिले के पीएमईजीपी लाभार्थियों के लिए 06 और 10 दिनों का (उद्यमिता विकास कार्यक्रम) ईडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कारगिल में जहाँ आरएसटीआई और आरयूडीएसटीआई का कोई केंद्र नहीं है, केवीआईसी ने पहल की और पहली बार 10 जुलाई 2017 से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

कार्यक्रम के दौरान आयोग के प्रतिनिधि इमरान मजीद भी उपस्थित थे। विभिन्न विभागों और बैंकों के विशेषज्ञों ने ईडीपी पर व्याख्यान दिए और लाभार्थियों के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डाला। 20 जुलाई 2017 को प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आयोग के अध्यक्ष द्वारा केआरडीपी योजना के तहत वर्कशेड का उद्घाटन

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने दिनांक 02.07.2017 को जयहिन्द खादी ग्रामोद्योग संघ, पालनपुर, बनासकांठा, गुजरात में केआरडीपी योजना के अंतर्गत एक कार्यशेड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोग के राज्य निदेशक, गुजरात श्री संजय हेडाऊ, जयहिंद खादी ग्रामोद्योग संघ, पालनपुर के सचिव श्री एन जी पतालिया के साथ साथ बड़ी संख्या में कत्तिन और बुनकर भी यहां उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री सक्सेना ने कहा कि यह बहुत जरूरी है और इस क्षेत्र के कत्तिनों और बुनकरों को सशक्त बनाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन संस्थानों को गुणवत्तायुक्त खादी का उत्पादन करना चाहिए, केआरडीपी जैसी योजना संस्थानों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है। उन्होंने कहा, ओएनजीसी, रेमंड, पीटर इंग्लैंड और अरविंद के अलावा कई अन्य दिग्गज भविष्य में खादी के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। ★★

शैक्षिक संस्थानों ने दीक्षांत समारोह के लिए खादी को अपनाया

राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने के लिए, आईसीएसआई ने उत्तरी क्षेत्र के संपन्न हुए अपने दीक्षान्त समारोह 2017 में भारतीय पोशाक के रूप में खादी अंगवस्त्रम को अपनाया।

EW DELHI | SUNDAY | 25 JUNE-1 JULY 2017

THE KHADI WAY OF LIFE

Spinning the Wheels of Self-Reliance

Tihar Jail women inmates get a new lease of life as khadi spinners at Charkha Museum in Connaught Place

By LAKSHI BHATIA

SHEKHAR YADAV

New Delhi: Her smile is a lie that she has perfected in the last 14 years. Nobody can tell that behind Sonam Sharma's plastered gesture, is a painful story of defeat. After serving six years in Tihar Jail, she was released six months back. The ostensible murder case that she was charged for has left a permanent scar on her respect. In a flash she lost her home, husband, children and the purpose of life. But things have begun to change in the past 10 days. Of all the things she lost, one thing is trailing back—her dignity that her new job at the Charkha Museum complex has given her. She makes 8-10 bunches of khadi hank tags that are given to visitors along with the ticket priced ₹20. As part of the initiative spearheaded by Khadi and Village Industries Commission Chairman Vinai Kumar Saxena, Sharma and her fellow inmates come to Ganga Ben Kutir in the museum complex at Connaught Place daily, to spin deftly from 11 am to 7 pm.

"My husband manipulated facts and sent me to jail. He doesn't realise he has given me a better life."
Sonam Sharma, whose term ended six months ago

Ever since her release, this is the only thing she looks forward to. Old memories of her one-and-a-half-year old daughter being snatched away from her shaking hands, still send chills down her spine. She had allegedly murdered a relative on her husband's side. "I never did it," she says as tears begin to roll down her freckled face, but she jolts back to reality quickly. "My husband manipulated facts and sent me to jail. He doesn't realise he's given me a better life." Like all others, she is paid ₹200 per day.

Kamla Rani, 55, who was charged for her tenant's murder, is the first one to come in everyday and the last one to leave. She will work till her body doesn't give way, she has promised herself. She's not just earning money; but is acquiring the confidence to make decisions in the family.

"Spinning has given me the confidence to be independent."
Kamla Rani, Tihar jail inmate

Ganga Ben Kutir, where these women work, is inspired by Ganga Ben, a women who holds historic significance. When Mahatma Gandhi returned from South Africa, he discovered the loom but wondered how to spin the wheel. Then, Ganga Ben of Gaekwad in the princely state of Baroda, presented him with a charkha and explained the method of spinning it in 1919. "It was she who introduced Gandhi to the charkha and years later, he made it a symbol of national importance," says Saxena. In fact, the charkha found significance in the agenda of the Indian National Congress party. The first flag of 1921 as suggested by Gandhi, had the traditional wheel. It began to be hoisted by party members by 1923. In 1947 it was replaced with the Ashoka Chakra. Today the museum has a number of vintage charkhas, from 60 year to 102 years, besides the 25 feet long and 12 feet tall stainless steel installation charkha perched above Palika market.

On May 21, when the complex was inaugurated, 10 of the 40 women inmates trained in spinning came for the charkha demonstration to showcase their skillfulness. "When a woman is made competent, she earns and supports her family," says Saxena. That's exactly what Rekha Kumari, sitting across, seems to be doing. After she was accused for her husband's murder, she felt like it was end of world for her, but after fighting 14 years, she was released. She is now married to a fellow inmate and lives in a respectable family communion. Her close friend, a 65-year-old women inmate, hears everybody tell their stories but keeps silent. She is out on a one month-long parole. "At this age, all I want are my children," she says quivering. The women had allegedly burnt her 90-year-old tenant to death, and is serving her 14 year sentence.

Once many of these inmates are released from the jail, they will be given a charkha each to take with them. It will be a reminder to never stop. To spin new life narratives and thread the path of self-reliance.

SHEKHAR YADAV

"Ganga Ben introduced Mahatma Gandhi to charkha and later, he made it a national symbol. By spinning charkhas, women are earning and supporting their families."
Vinai Kumar Saxena, Chairman, Khadi and Village Industries Commission

THE SUNDAY STANDARD Sun, 25 June 2017
epaper.thesundaystandard.com//c/20490598

आयोग की 646वीं बैठक का कार्यवृत

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 646वीं बैठक दिनांक 29 जून, 2017 को मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आयोग के निम्नलिखित सदस्य-श्री विनय कुमार सक्सेना,अध्यक्ष; श्री जय प्रकाश तोमर, आंचलिक सदस्य (मध्य अंचल); श्री जी. चन्द्रमौलि, आंचलिक सदस्य (दक्षिण अंचल); डॉ. संगीता कुमारी,आंचलिक सदस्य (पूर्वी अंचल); श्री नारायण चंद्र बोरकाटकी,आंचलिक सदस्य (पूर्वोत्तर अंचल); डॉ. हीना शफ़ी भट्ट,आंचलिक सदस्य (उत्तर अंचल); श्री अशोक भगत, विशेषज्ञ सदस्य (अनुसंधान और विकास); डॉ. शीला राय, विशेषज्ञ सदस्य (तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण); श्री राजीव वी जी, डीजीएम (एमईएंडजीएसएस), भारतीय स्टेट बैंक; श्री बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव (सु.ल.म.उ.); श्रीमती अन्शु सिन्हा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं श्रीमती ऊषा सुरेश,वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग उपस्थिति थे।

अन्य उपस्थित अधिकारियों में -श्री मोहित जैन, मुख्य सतर्कता अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग; श्री के.एस.राव, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रमंरोसृका/प्रचार/विपणन/आईटी/एफबीएए);श्री वाई.के.बारामतीकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प.अं./क्ष.नि./सं.से./वि.प्रौ./एसबीसी/एलआर/प्रशासन); श्री सत्य नारायण, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आयोग प्रकोष्ठ/उत्तर अंचल/अध्यक्ष के सचिव); श्री डी. धनपाल, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (खादी/केपीएम/आरआईडी/अर्थ-अनुसंधान) उपस्थिति थे।

- इस अवसर पर उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आयोग प्रकोष्ठ) ने सभी सदस्यों का खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 646वीं बैठक में स्वागत किया। आयोग ने दो नए सदस्यों, डा. हीना शफ़ी भट्ट, सदस्य (उत्तर अंचल) और डॉ. शीला राय, विशेषज्ञ सदस्य (तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण) का स्वागत किया।
- नए सदस्यों को 'खादी रूमाल' और 'तिरंगा खादी सूत' भेंट करके स्वागत किया गया।
- आयोग ने सदस्य (विपणन) के अवकाश को अनुमति दी, जिन्होंने अवगत कराया है कि चूंकि पूर्व में आयोग की बैठक 27 जून, 2017 को मुंबई में आयोजित होना तय था, उन्हें दिनांक 29.06.2017 को लखनऊ में एक अन्य बैठक में हिस्सा लेना है और इसलिए वे पुनःनिर्धारित तिथि 29.06.2016 को मुंबई में आयोग की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ रहेंगे।
- श्री डी.पी.एस.नेगी, आर्थिक सलाहकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को भी अवकाश की अनुमति दी गई, जिन्होंने अवगत कराया है कि वे बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेंगे।
- आयोग ने सीवीपीआई, केवीआईसी, खानापुर, कर्नाटक द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की जिसके द्वारा टेराकोटा के पानी के मटके विकसित किए गए है, और इन मटकों को प्रदर्शित किया गया था। अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि इसके नमूनों को खादी ग्रामोद्योग भवन, दिल्ली और मुंबई में बिक्री हेतु प्रदान किया जाना चाहिए।
- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, आयोग की बैठक की शुरूआत हुई और कार्यसूची मदों पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

कार्यसूची मदें और निर्णय

मद संख्या 01: खादी और ग्रामोद्योग आयोग की दिनांक 31 मई, 2017 को शिमला में आयोजित 645वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

निर्णय:आयोग ने दिनांक 31 मई, 2017 को शिमला में आयोजित खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 645वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की। कार्यवृत्त की पुष्टि के दौरान उठाए गए मुद्दों को अनुलग्नक-I में रखा गया है।

मद संख्या 02: दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को आयोजित खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 644वीं बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

निर्णय: निम्नलिखित अवलोकनों के साथ आयोग की 644वीं बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को आयोग

द्वारा अनुमोदित किया गया:-

१- संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने इंगित किया कि आयोग की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को तैयार करने में निदेशालयों द्वारा गंभीरता नहीं बरती गई है।

२- उपरोक्त विषयों पर चर्चा के दौरान आयोग ने सभी कार्यक्रम उप मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने निदेशालयों में आयोग की बैठक में लिए गए 'आयोग के निर्णयों' पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को तैयार करने और प्रत्येक माह की बैठक में इसे आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के दौरान आवश्यक सावधानी/तत्परता/गंभीरता बरतें।

कार्रवाईः सभी कार्यक्रमों के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी

३- अध्यक्ष महोदय ने इंगित किया कि आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के समुचित अनुपालन के लिए और साथ ही साथ विभिन्न खादी ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समुचित निगरानी के लिए भी, केन्द्रीय कार्यालय में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सभी निदेशालयों की गतिविधियों की समीक्षा किए जाने की जरूरत है। आयोग ने अध्यक्ष महोदय के अवलोकन को नोट किया और निर्णय लिया कि केन्द्रीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के प्रत्येक निदेशालय के कार्यकलापों की नियमित आधार पर समीक्षा की जाएगी।

कार्रवाईः उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अर्थ अनुसंधान)

मद संख्या 03:खादी प्रमाणपत्र निदेशालय द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया नोट (1) खादी और पॉलीवस्त्र गतिविधियों के संचालन के लिए पंजीकरण हेतु दिशानिर्देशों का अनुमोदन करना। (2) खादी प्रमाणपत्र को खादी मार्क पंजीकरण से प्रतिस्थापित करने हेतु अनुमोदन। (3) खादी और ग्रामोद्योग आयोग विनियम 2007 के विनियम संख्या 24(1)(2)(3) में प्रस्तावित संशोधनों को अनुमोदित करना।

निर्णय:चूंकि उपरोक्त प्रस्ताव में पंजीकरण की प्रक्रियाएं, दो विनियमों का एक साथ विलय करना, दंड संबंधित धाराएँ और संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की समिति की अनुशंसाओं की जांच करने जैसे बहुत सारे पहलुओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है, यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को विस्तारपूर्वक चर्चा के लिए आयोग की आगामी बैठक तक आस्थगित कर दिया जाए, तब तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि उक्त प्रस्ताव की जांच करें।

कार्रवाईः निदेशक (खादी प्रमाणपत्र)

मद संख्या 04:विधिक मामले निदेशालय द्वारा 'श्री एस.के.बेदवाल, वरिष्ठ कार्यकारी (विधि मामले), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, नई दिल्ली द्वारा अपनी पत्नी के ईलाज के लिए खर्च किए गए रु.7,37,488/- की प्रतिपूर्ति के लिए की गई कार्रवाई का अनुसमर्थन' करना।

निर्णय:आयोग ने विधिक मामले निदेशालय द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया।

(i) संयुक्त सचिव, सू. ल. म. उ. ने सुझाव दिया कि चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रस्तावों/ देयकों को भविष्य में केवल प्रशासन निदेशालय द्वारा जांच की जानी चाहिए, और कोई भी पूर्व लेखा-परीक्षा इस मामले पर संचालित नहीं करना चाहिए। वित्तीय सलाहकार ने अवगत कराया कि चिकित्सीय दावों के संबंध में पूर्व लेखा-परीक्षा को केवल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि प्रतिपूर्ति को नियमों के अनुरूप किया जा रहा है और यह बाद के स्तर में आधिक्य के भुगतान से संबंधित वसूली की आवश्यकता को कम करता है।

(ii) चूंकि विधिक मामले निदेशालय द्वारा प्रस्तुत नोट 'श्री एस.के.बेदवाल, वरिष्ठ कार्यकारी (विधि मामले), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2014 से 2016 के दौरान अपनी पत्नी के ईलाज के लिए खर्च किए गए रु.7,37,488/- की प्रतिपूर्ति के लिए की गई कार्रवाई का अनुसमर्थन' करने के संबंध में था, आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के प्रस्तावों को प्रशासन निदेशालय द्वारा ही प्रक्रियागत

किया जाना तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर पर प्रत्येक तिमाही में निर्णित किया जाना चाहिए।

(iii) संयुक्त सचिव, सू.ल.म.उ. ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य निदेशकों को आवश्यक अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए, जिससे कि वे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति का अनुमोदन कर सकें।

(iv) उपरोक्त क्रम में लिए गए निर्णयों के अनुपालन के लिए, अधिकारियों को समुचित अधिकार सौंपे जाने के निबंधनों के साथ आवश्यक मसौदा परिपत्र आयोग की आगामी बैठक में रखा जाना चाहिए।

कार्रवाईः निदेशक (प्रशासन एवं मानव संसाधन)

मद संख्या 05: गेपणीय

मद संख्या 06: दिनांक 25.04.2017 को नई दिल्ली में आयोजित स्थायी वित्त समिति (2017-18) की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करना।

निर्णय:आयोग ने दिनांक 25.04.2017 को नई दिल्ली में आयोजित स्थायी वित्त समिति (2017-18) की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

सचिव (स्थायी वित्त समिति)

मद संख्या 07: अतिरिक्त कार्यसूचीमद संख्या 07.1खादी और ग्रामोद्योग आयोग में स्टाफ कार चालकों के सामान्य संवर्ग को केन्द्रीयकृत करने/बनाए रखने के संबंध में आयोग को अवगत कराने हेतु प्रशासन/ मानव संसाधन द्वारा प्रस्तुत नोट।

निर्णय: आयोग ने प्रशासन एवं मानव संसाधन निदेशालय द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग में स्टाफ कार चालकों के सामान्य संवर्ग को केन्द्रीयकृत करने/बनाए रखने के संबंध में की गई कार्रवाई को नोट किया।

- यह भी अवलोकन किया गया कि प्रशासन निदेशालय के पास ट्रेडिंग इकाइयों में कार्यरत सभी कर्मचरियों के बारे में कोई भी विवरण/ वरिष्ठता की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह निर्देशित किया गया कि उपरोक्त विवरण को संकलित किया जाए और दिनांक 7 जुलाई 2017 के पूर्व प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
- प्रशासन निदेशालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु नियंत्रण प्राधिकारी होगा।

कार्रवाईः निदेशक (प्रशासन/मानव संसाधन)

मद संख्या 07.2: 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विभागीय बिक्री केन्द्रों हेतु प्रापण, भुगतान और परीक्षण एवं निरीक्षण के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों' के मसौदे को अनुमोदन करने हेतु विपणन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत नोट।

निर्णय:चर्चा के उपरान्त आयोग ने उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसके अतिरिक्त, संयुक्त सचिव, एआरआई ने कुछ सुझाव भेजने की इच्छा प्रकट की, जिन्हें इसमें समुचित तौर पर सम्मिलित किया जाएगा।

कार्रवाईः सहायक निदेशक प्रभारी (विपणन)

मद संख्या 07.3: प्रचार निदेशालय द्वारा प्रस्तुत नोटः (1) अधिकतम रु.1.00 लाख प्रति आयोजन तक के आयोजनों को प्रायोजित करने हेतु एमीडीए दिशानिर्देशों में छूट प्रदान करना और आयोजनों की प्रायोजकता के लिए उचित तौर पर उच्चतम सीमा का निर्धारण करना। (2) पटना में दिनांक 03.09.2017 से 11.09.2017 तक ऑल बिहार चेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित जूनियर शतरंज प्रतियोगिता हेतु रु.10.00 लाख की प्रायोजकता को अनुमोदित करना।

निर्णय:चर्चा के उपरान्त आयोग ने उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया और निम्नलिखित निर्णय लिए:

1. एमपीडीए दिशानिर्देशों के अधीन प्रायोजकता की सीमा में बढ़ोतरी को मंत्रालय को विचारार्थ भेजा जाएगा।
2. पटना में दिनांक 03.09.2017 से 11.09.2017 तक ऑल बिहार चेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित जूनियर शतरंज प्रतियोगिता हेतु रु. 10.00 लाख की प्रायोजकता के प्रस्ताव को विशेष मामले के तौर पर अनुमोदित किया गया।
3. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रचार) ने आयोग को "कैरोस कोन्टेन" मुंबई से प्राप्त विशिष्ट प्रस्ताव के बारे में अवगत कराया, जिनके द्वारा 'झांसी की रानी' की

जीवनी पर आधारित फिल्म 'मणिकर्णिका' का निर्माण किया गया है। प्रस्ताव में अग्रणी कलाकारों के लिए खादी के परिधान को वेशभूषा के तौर पर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र के लिए विशिष्ट अवसर होगा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उच्च प्रचार-प्रसार को ऑडियो-वीडियो प्रचार के माध्यम से हासिल कर सके, जाने-माने कलाकारों की वेशभूषा के माध्यम से खादी को प्रोमोज, रोड शो इत्यादि के दौरान जनसामान्य के लिए प्रदर्शित किया जा सके। निर्माता द्वारा खादी शब्द को भी फिल्म में संवाद के दौरान उचित तौर पर उपयोग करने के बारे में सहमति दी गई है, जिससे कि स्वदेशी वस्त्र को प्रोत्साहित किया जा सके।

विस्तार पूर्वक चर्चा के उपरान्त, सन 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि में विरासत वस्त्र खादी को प्रदर्शित करने की विशिष्टता के कारण, आयोग ने उपरोक्त प्रस्ताव को विशेष मामले के रूप में अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

कार्रवाईः निदेशक (प्रचार)

मद संख्या 07.4: लेखा निदेशालय द्वारा प्रस्तुत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 2016-17 हेतु वार्षिक लेखा प्रतिवेदन का अनुमोदन।

निर्णय: निदेशक लेखा ने आयोग के समक्ष वार्षिक लेखा को प्रस्तुत किया। यह सूचित किया गया कि योजना और गैर-योजना मदों के अंतर्गत रु.1932.75 करोड़ के आवंटन के सापेक्ष विभिन्न योजनाओं के लिए किया गया व्यय रु.2052.09 करोड़ था। गैर योजना मदों के तहत व्यय के बारे में भी आयोग को सूचित किया गया। आयोग के व्यापार खातों के बारे में अवगत कराया गया कि व्यापारिक इकाइयों द्वारा वर्ष 2015-2016 में रु.0.62 करोड़ के शुद्ध लाभ के सापेक्ष इस वर्ष रु.10.91 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया है। इससे वर्ष 2015-16 में रु.26.49 करोड़ के कुल नुकसान (संचित) से घटकर वर्ष 2016-17 में यह रु.15.59 करोड़ रह गया है।

- आयोग ने निर्देश दिया कि ट्रेडिंग इकाइयों द्वारा मुनाफे में वर्षवार तुलना की सुविधा होनी चाहिए और वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 की अवधि के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान 5 लाख से ऊपर लाभ अर्जित करने वाली विभागीय व्यापारिक इकाइयों (सीएसपी/डीएसओ) के संबंध में पृष्ठ संख्या 10 में बिक्री और लाभ विवरणों के साथ इसे शामिल करने का निर्देश दिया गया है (वर्ष 2016-17 की अवधि के अतिरिक्त)।
- यह भी अवगत कराया गया कि खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं से नियमित तौर पर वसूली के परिणामस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक को सीबीसी ऋण के बकाया के भुगतान को रु.262 करोड़ तक कम कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक को रु.738 करोड़ के लिए गए ऋण के सापेक्ष कुल रु.1307.16 करोड़ की राशि (रु.831.16 करोड़ का ब्याज मिलाकर) का भुगतान किया गया है। ऋणी संस्थाओं (खादी और ग्रामोद्योग दोनों) से वसूलीयोग्य बकाया रु.486.58 करोड़ था। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि मामले को भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष माफी के लिए रखा जाना चाहिए, क्योंकि खादी संस्थाएं वित्तीय तौर पर मजबूत नहीं हैं और ऋण को पूरी तरह चुकाने में काफी लंबी अवधि बीत जाएगी। आगे, भारतीय स्टेट बैंक से ली गई राशि से अधिक राशि का भुगतान बैंक को किया गया है। चूंकि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष आयोग के सदस्य भी हैं, वित्तीय सलाहकार को निर्देश दिया गया कि वे भारतीय स्टेट बैंक के साथ मामले पर चर्चा करें। आयोग ने यह भी निर्देश किया कि अब कोई भी अतिरिक्त भुगतान भारतीय स्टेट बैंक को नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि मामले का निबटान नहीं कर लिया जाता। श्री राजीव वी.जी., डीजीएम (एमईएंडजीएसएस), भारतीय स्टेट बैंक ने जो इस बैठक में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष की ओर से प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे, अवगत कराया कि उन्होंने अवलोकन किया है कि इस मामले पर पूर्व की बैठक में भी चर्चा की गई थी और सुझाव दिया कि मामले को संबंधित शाखा के माध्यम से उठाया जाना चाहिए और इस संबंध में अपना सहयोग देने का भी प्रस्ताव रखा।
- आयोग को यह भी अवगत कराया गया कि वर्ष के

दौरान रु.4.50 करोड़ की राशि खादी ऋण के अंतर्गत, तथा रु.3.50 करोड़ की राशि ग्रामोद्योग ऋण के अंतर्गत सरकार को वापस की गयी है। जैसा कि, सरकार को खादी और ग्रामोद्योग ऋण के मद में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लिए गए रु.1334.66 करोड़ के ऋण के सापेक्ष कुल बकाया दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में रु.1326.66 करोड़ था। ब्याज सब्सिडी (जिसे बही समायोजनों के माध्यम से समायोजित किया जाना है) रु.2046.43 करोड़ थी। संयुक्त सचिव, सू.ल.म.उ. ने यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि ब्याज सब्सिडी को आगामी वर्षों के बजट में शामिल किया गया है, ताकि इसे समाप्त किया जा सके।

- आयोग ने तदोपरान्त खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वार्षिक लेखा को अनुमोदित किया और लेखा निदेशालय को निर्देश दिया कि इसे भारत के महानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को भेजा जाए।

कार्रवाईः निदेशक (लेखा)

मद संख्या 07.5: खादी गतिविधियों को पुनः प्रारंभ करने हेतु खादी आश्रम, पानीपत की 5 संपत्तियों के संबंध में उनके अधिकार विलेखों को वापस करने हेतु खादी आश्रम, पानीपत, हरियाणा से संबंधित खादी निदेशालय का नोट।

निर्णय: राज्य निदेशक, राज्य कार्यालय, हरियाणा से आवश्यक प्रतिपुष्टि/आगतों को प्राप्त करने के उपरान्त, जो इस बैठक में उपस्थिति थे, और साथ ही खादी निदेशालय से खादी आश्रम, पानीपत में खादी गतिविधियों को पुनः प्रारंभ करने हेतु उनकी 5 संपत्तियों के संबंध में उनके अधिकार विलेखों को वापस करने के मुद्दे पर विवरणों को प्राप्त करने के बाद, आयोग ने विस्तारपूर्वक मामले पर चर्चा की और निर्णय लिया कि मामले को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को मार्गदर्शन और निर्देश हेतु संदर्भित किया जाए।

कार्रवाईः निदेशक (खादी)

मद संख्या 07.6 : चर्चा किए गए अन्य मामले।

i. हरियाणा में स्मार्ट गांव विकसित करना

हरियाणा राज्य के गुरूग्राम जिले के दो गावं (रायसेना और लोहटकी) को भारत के राष्ट्रपति महोदय के कार्यालय द्वारा चयनित किया जा रहा है, जिससे कि यहां खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मौजूदा खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से उक्त गांवों की संभाव्यता/संसाधनों का उपयोग किया जा सके।

उपरोक्त परियोजना के लिए डीपीआर को राज्य निदेशक, राज्य कार्यालय, हरियाणा द्वारा तैयार किया जाना है और इसे केन्द्रीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई को प्रेषित किया जाए।

कार्रवाईः निदेशक (खादी),निदेशक (ग्रामोद्योग समन्वय)

ii. खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों को जीएसटी से छूट

आयोग ने नोट किया कि "खादी यार्न" को जीएसटी के तहत छूट हेतु एक मद के रूप में शामिल किया गया है। यद्यपि, खादी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा यह एक अच्छा संकेत है। हालांकि, जीएसटी के तहत जारी अधिसूचनाओं में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि खादी यार्न और खादी उत्पादों को बनाने के लिए कच्चे माल की खपत, जैसे पूनी, रोविंग, आदि को भी जीएसटी से छूट दी गई है अथवा नहीं। इसलिए जीएसटी से खादी को छूट प्रदान करने के लिए, आयोग द्वारा जीएसटी परिषद, वित्त मंत्रालय, और एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार से संपर्क करने का निर्णय लिया गया।

कार्रवाईः सहायक निदेशक प्रभारी (विपणन),
निदेशक (अर्थअनुसंधान)

iii. उत्तराखंड राज्य में मधुमक्खीपालकों के लिए लाभकारी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

सदस्य (मध्य अंचल) ने उत्तराखंड राज्य में मधुमक्खीपालकों के लिए लाभकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मुद्दा उठाया और उल्लेख किया कि

शहद के न्यूनतम प्रापण मूल्य हेतु नीति बनाई जाए। चर्चा के उपरान्त आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड को 'हनी मिशन' के अंतर्गत समुचित सहायता प्रदान की जाएगी।

कार्रवाईः निदेशक (वन आधारित उद्योग)

iv). उन संस्थाओं को केआरडीपी योजना से वंचित करना, जिन्होंने आयोग की अन्य योजनाओं जैसे स्फूर्ति, संशोधित स्फूर्ति इत्यादि से लाभ प्राप्त किया है।

क. सदस्य (मध्य अंचल) द्वारा ऐसी संस्थाओं को केआरडीपी योजना से वंचित करने के बारे में मुद्दा उठाया गया, जिन्होंने आयोग की अन्य योजनाओं जैसे स्फूर्ति, संशोधित स्फूर्ति इत्यादि से लाभ प्राप्त किया है। संयुक्त सचिव, एआरआई ने स्पष्ट किया कि स्फूर्ति जैसी योजना में कार्यरत कारीगरों को भविष्य में आयोग की किसी अन्य योजना में शामिल नहीं किया जा सकेगा, जैसे कि संशोधित स्फूर्ति अथवा केआरडीपी योजना इत्यादि।

ख. इस कार्य-योजना को इस उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है कि संस्थाओं को कई योजनाओं से फायदा लेने से रोका जा सके जो बार बार उन्हीं कारीगरों की संख्या को विभिन्न योजनाओं के लिए दर्शाती हैं।

ग. इसलिए, आयोग ने निर्देशित किया कि यदि संस्थाओं द्वारा उल्लिखित या शामिल कारीगरों के समूह में भिन्नता है और उन्हें किसी भी योजना का लाभ प्रदान नहीं किया गया है, तो उन्हें उपरोक्त मुद्दे को स्पष्ट करते हुए मौजूदा परिपत्र में संशोधन किए जाने की शर्त पर इन योजनाओं के अधीन लाभ देने पर विचार किया जा सकता है।

कार्रवाईः निदेशक (खादी)

v) खादी के साथ-साथ ग्रामोद्योगी योजनाओं के लिए कच्चा माल की उपलब्धता पर जोरः

क. आयोग ने विशेषज्ञ सदस्य (अनुसंधान और विकास) की टिप्पणियों पर ध्यान दिया कि जब केआरडीपी, स्फूर्ति, संशोधित स्फूर्ति आदि प्रमुख योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में आयोग सक्रिय रूप से शामिल है, तो विभिन्न परियोजनाओं के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस संबंध में भी ध्यान केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए।

ख. ग्रामोद्योगों के बारे में उन्होंने कहा कि ग्रामोद्योग के लिए स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता को भी बाजार में प्रभावी और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

ग. आगे, उन्होंने क्षेत्र विशिष्ट ग्रामोद्योग गतिविधियों का सुझाव दिया, जहां ये उद्योग संबन्धित क्षेत्र में कच्चे माल की उपलब्धता पर आधारित होगा, जो कच्चे माल का उत्पादन करने वाले किसानों की आय को दुगना करने में सहायता करेगा।

घ. इस पर संयुक्त सचिव (एआरआई) ने बताया कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय खादी बोर्ड की बैठक में नाबार्ड के सहयोग से "फार्म आधारित कृषि क्लस्टर स्कीम" के लिए एक निर्णय लिया गया है, जहां खेती आधारित गतिविधियां, जैसे बागवानी, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि के उत्पादन में मूल्यवर्धन हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।

कार्रवाईः निदेशक (खादी),निदेशक (ग्रामोद्योग समन्वय)

vi) केआरडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत खादी संस्थाओं को निधियों के आकलन और स्वीकृत हेतु प्रणालीः

क. आयोग ने सदस्य (दक्षिण अंचल) की टिप्पणियों पर ध्यान दिया कि केआरडीपी योजना के तहत विभिन्न संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक वैज्ञानिक प्रणाली होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह के मामलों में केआरडीपी योजना के अधीन उसी राज्य, उसी क्षेत्र और उसी संस्था के लिए की जाने वाली स्वीकृति में काफी अंतर देखा गया है।

ख. इस पर, संयुक्त सचिव (एआरआई) ने अवगत कराया कि इसे केआरडीपी परियोजना के लिए चुनी गई संस्था की आधारभूत संरचना, कारीगरों की संख्या और क्षमता और संस्था की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है, और इसलिए मामले के आधार पर वित्तीय सहायता अलग-अलग हो सकती है।

(कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं)

आगामी बैठक:

यह निर्णय लिया गया कि आयोग की 647वीं बैठक तथा स्थायी वित्त समिति की आगामी बैठक केंद्रीय कार्यालय, मुख्यालय मुंबई में दिनांक 26 और 27 जुलाई, 2017 को आयोजित की जाएगी।

****

अनुलग्नक-I

1. विशेषज्ञ सदस्य (ग्रामीण विकास) ने रांची में आयोजित अभयारण्य कार्यशाला में लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की उप योजना के लिए आवंटित निधि के उपयोग पर एक नियमित कार्यसूची रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। विचार-विमर्श के बाद आयोग ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

विभिन्न ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उप योजना के संबंध में भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों को आयोग की सभी बैठकों में एक नियमित कार्यसूची के रूप में रखा जाएगा।

कार्रवाई : सभी उद्योग/कार्यक्रम निदेशालय

रांची में आयोजित "अभयारण्य" कार्यशाला में लिए गए निर्णय पर विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए और आयोग की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।

कार्रवाई : सभी उद्योग/कार्यक्रम निदेशालय

2. आयोग ने संयुक्त सचिव (एआरआई) की टिप्पणियों पर भी सहमति व्यक्त की कि माह के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एनईआर घटक सहित आयोग की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की भौतिक और वित्तीय कार्य निष्पादन रिपोर्ट नियमित रूप से मूल्यांकन के लिए आयोग की बैठकों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कार्रवाई : सभी उद्योग/कार्यक्रम निदेशालय

3. आयोग ने अध्यक्ष के सुझाव पर भी सहमति जताई कि केआरडीपी,पीएमईजीपी,स्फूर्ति,स्वीट क्रांति (मधुमक्खी पालन),विपणन, ग्राम उद्योग आदि जैसे सभी विकास कार्यों की 'कार्य योजना ' पर 'अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट' से संबंधित पूरी सूची, जिस पर आयोग की हर बैठक में नियमित आधार पर विचार-विमर्श किया जाना है, उसे अग्रिम रूप में तैयार किया जाना चाहिए और आयोग के मूल्यांकन/सुझाव/ मार्गदर्शन के लिए आयोग की हर बैठक में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट/मूल्यांकन नोट प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

कार्रवाई : सभी उद्योग/कार्यक्रम निदेशालय

4. सदस्य (मध्य क्षेत्र) ने सूचित किया कि ग्रामोद्योगी संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने के मुद्दे पर समुचित रूप से ध्यान नहीं दिया गया है और उन्होंने यह भी सूचित किया कि ग्रामोद्योगी गतिविधियों हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के लिए आवेदक को केवीआईसी, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में कई बार आना पड़ता है और फिर भी वे अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं कर पाते है और इस संबंध में सुमुचित उत्तर भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए, उन्होंने अनुरोध किया कि इस तरह के उत्पीड़न को दूर किया जाना चाहिए। इस पर वित्तीय सलाहकार ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में निदेशक (लेखा) विशिष्ट संस्था के लिए "बेबाकी प्रमाण पत्र" जारी करते हैं, जबकि राज्य निदेशक राज्य कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करते हैं।

I. इस संबंध में आयोग ने निर्णय लिया कि उन सभी संस्थाओं की सूची निदेशक (लेखा) द्वारा डीआईटी की सहायता से तीन दिन के भीतर केवीआईसी की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए, जिन्होनें ग्रामोद्योगी ऋण चुकता कर दिया है तथा जिनकी आयोग के प्रति कोई देयता नहीं है और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने हेतु इन संस्थाओं का विवरण सभी संबंधित राज्य निदेशकों को भेजा जाना चाहिए। एनओसी में विशिष्ट उद्देश्य के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके लिए संस्था को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्रदान की जा रही है और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) को संस्था की भूमि या संपत्ति के निपटान के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए।

II. आयोग ने संयुक्त सचिव (एआरआई) की टिप्पणी को नोट किया कि चूंकि ग्रामोद्योगी ऋण का लाभ लेने

वाली संस्थाओं से संबंधित सभी विवरण उद्योग निदेशक के पास उपलब्ध होने से ग्रामोद्योगी ऋण लेने वाली संस्था के ऋण की स्थिति के बारे में निदेशक लेखा और राज्य निदेशक को सूचित करना उद्योग निदेशक की ज़िम्मेदारी है।

III. आयोग ने संयुक्त सचिव (एआरआई) की टिप्पणी को नोट किया कि उद्योग निदेशकों और उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामोद्योग) के पास निम्न से संबंधित सभी विवरण होना चाहिए (1) ग्रामोद्योगी संस्थाओं के ऋण की बकाया राशि से संबंधित विवरण (2) ग्रामोद्योगी संस्थाओं का विवरण जिन्होंने सभी ऋण चुका दिए हैं (3) ग्रामोद्योगी संस्थाओं का विवरण जिन्होने बेबाकी प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए निवेदन किया है (4) जारी किए गए बेबाकी प्रमाण पत्र/ अनापत्ति प्रमाणपत्र का विवरण और उन्हें इन विवरणों की मोनीटरिंग करनी चाहिए। उन्होने सूचित किया कि राज्य कार्यालय द्वारा बेबाकी प्रमाण पत्र/ अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्राप्त आवेदन उद्योग, निदेशक खादी और ग्रामोद्योग आयोग, केंद्रीय कार्यालय मुंबई को अग्रेषित किया जाना चाहिए। उद्योग निदेशक को लेखा निदेशालय से बेबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए और एनओसी जारी करने के लिए उक्त को राज्य निदेशक को अग्रेषित करना चाहिए। आयोग ने ग्रामोद्योगी संस्था द्वारा प्राप्त ऋण की स्थिति का समेकित विवरण तैयार करने हेतु सदस्य (दक्षिण क्षेत्र) की टिप्पणी को भी नोट किया। उक्त को संबंधित आंचलिक सदस्यों के सूचनार्थ भी उपलब्ध कराया जाए।

IV. अतः आयोग ने निर्णय लिया कि सभी उद्योग निदेशकों द्वारा ग्रामोद्योग के तहत विभिन्न राज्य कार्यालयों से ऋण लेने वाली सभी संस्थाओं का विवरण मंगाया जाए और लेखा निदेशालय से अद्यतन विवरण और बेबाकी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात इस बात को ध्यान में रखे बगैर कि चाहे उन्होने इसकी मांग की है अथवा नहीं, पात्र संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु राज्य निदेशकों को अग्रेषित किया जाना चाहिए और इस कार्य को एक माह के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए।

V. आयोग ने संयुक्त सचिव (एआरआई) की टिप्पणियों को भी नोट किया कि राज्य निदेशकों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाली संस्थाओं से सभी ऋण बकाए की वसूली के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और उन्हें वसूली लक्ष्यांक दिया जाना चाहिए चाहिए, जिसे पूरा न किए जाने की स्थिति में अशोध्य ऋण के किए वे जिम्मेदार होंगे।। आयोग ने इस संबंध में सदस्य (मध्य क्षेत्र) की टिप्पणियों को भी नोट किया की है कि उक्त के संबंध में राज्य निदेशक द्वारा किसी भी तरह से अपने कर्तव्य की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा ।

VI. आयोग ने सदस्य (दक्षिण क्षेत्र) की टिप्पणी को नोट किया कि संस्थाओं और केवीआईसी के बीच किसी भी मतभेद/विवाद होने की स्थिति में, आपसी बातचीत से मतभेद सुलझाने हेतु कार्य प्रणाली अपनाने की जरूरत है।

VII. आयोग ने विशेषज्ञ सदस्य (आरडी) की टिप्पणी को नोट किया कि आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव है और ऐसे प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेने के दौरान अधिकारियों को इस विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ एमआईएस सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ।आगे, उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने हेतु आयोग में चर्चा करने से पूर्व संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए।

VIII. आयोग ने आंचलिक कार्यालयों की भूमिकाओं और कार्यों के संबंध में सदस्य (दक्षिण क्षेत्र) की टिप्पणी को भी नोट किया कि चूंकि ज्यादातर मामलों में आंचलिक कार्यालय सीमित भूमिका निभा रहे हैं, अतः इन्हे सुदृढ़ करने की जरूरत है।

****

खादी और ग्रामोद्योग में जीएसटी – एक दृष्टिकोण

- उषा मिश्र, उप संपादक जागृति

आजादी के बाद से भारत अप्रत्यक्ष कर ढांचे के अधीन रहा है, जिससे परिहार्य जटिलताएं पैदा होती हैं। माल और सेवा कर (जीएसटी) एक सरलीकृत कर संरचना है जो भारत में उत्पादों और सेवाओं पर लागू होने वाले अलग-अलग अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले चुका है। जीएसटी एक ऐसा गंतव्य आधारित कर है जिसे सरकार द्वारा पेश किया गया है जिसमें कई अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स आदि को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे एक राष्ट्र -एक कर के रूप में वर्णित किया गया है।

जीएसटी मुख्यतः एक उपभोग आधारित कर है, जिसका कार्यान्वयन विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा । राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री, निर्माण और उपभोग पर लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में, जीएसटी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा।

जीएसटी वास्तव में तीन करों - केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी), एकीकृत / अंतरराज्यीय माल और सेवा कर (आईजीएसटी) और राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) का परिणति है।

- स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी), जो राज्य द्वारा लगाया जाता है।
- केंद्र द्वारा लगाए गए केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी)
- समेकित जीएसटी (आईजीएसटी), जो केंद्र द्वारा सभी राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।

सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही माल और सेवाओं की अंतराल आपूर्ति पर लगाए जाएंगे, जबकि आईजीएसटी भारत में माल और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर लागू होगा। चूंकि यह उपभोग या गंतव्य आधारित कर है, इसलिए सभी चरणों में उत्पादक से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहले चरण में भुगतान किए गए करों के क्रेडिट पर लागू होगा। संक्षेप में, कर केवल मूल्य वृद्धि पर लगाया जाएगा और कर का अंतिम बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

दोनों ही सीजीएसटी और एसजीएसटी को एक ही कर आधार पर लगाया जाना है। जबकि सीजीएसटी से सभी केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों जैसे एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स आदि को बदलने की उम्मीद है। एसजीएसटी से वैट, मनोरंजन कर (स्थानीय निकाय द्वारा लगाए गए अन्य के अतिरिक्त), लक्ज़री कर, खरीद कर, जकात / प्रवेश कर, उपकर और अधिभार, लॉटरी या सट्टेबाजी आदि पर कर लगाने की उम्मीद है। हालांकि, मानव उपभोज्य शराब, तम्बाकू उत्पाद, मोटर ईंधन, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन जैसे कुछ सामानों पर अब भी एक्साइज ड्यूटी लागू होगी।

जीएसटी, भरमार करों के प्रभाव को खत्म

करेगा। कुछ मामलों में राज्य सरकार द्वारा एक्साइज टैक्स (जो कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है) पर लगाया गया वैट, दोहरा कराधान स्पष्ट होता है। माल और सेवा कर, कर पर कर के इस क्रिया को कम करेगा।

जीएसटी का असर यह है कि यह सुनिश्चित किया गया है कि एक सीजीएसटी दर लागू होती है, जबकि एक समान एसजीएसटी दर सभी राज्यों में लगाई जाती है। जीएसटी से टैक्स बोझ में कमी आने की उम्मीद है क्योंकि इसमें सभी टैक्स एकीकृत हैं। यह विनिर्माण और सेवाओं के बीच बराबर बोझ को विभाजित करता है जीएसटी बाद में अंतिम उपभोक्ता पर लागत का बोझ कम कर देता है।

जीएसटी के तहत किसका पंजीकरण आवश्यक है?

- कोई भी व्यवसाय जिसका वित्तीय वर्ष में कारोबार 20 लाख रुपये (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 10 लाख रुपये) से अधिक है। यदि टर्नओवर, केवल छूट वाले सामान / सेवाओं की आपूर्ति का है जिसे जीएसटी के तहत छूट दी गई है, तो पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है
- प्रत्येक व्यक्ति जो पहले के कानून (यानि एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स आदि) के तहत पंजीकृत है
- कोई भी व्यक्ति जो सामान की अंतर-राज्य आपूर्ति करता है
- आपूर्तिकर्ता के एजेंट
- वे जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के तहत कर का भुगतान करते हैं
- इनपुट सेवा वितरक
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर या एग्रीगेटर
- ई-कॉमर्स एग्रीगेटर द्वारा आपूर्ति करने वाला व्यक्ति
- भारत में एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को विदेशों से एक जगह से ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंचाने या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति,

एक पंजीकृत व्यक्ति ही जीएसटी एकत्रित कर सकता है। करदाता को आम तौर पर कर चालान पर

जीएसटी राशि का संकेत देना चाहिए।

खादी उत्पादों के लिए जीएसटी छूट

वर्तमान में, जीएसटी अधिनियम सभी खादी उत्पादों को पूर्णता छूट प्रदान नहीं करता है, हालांकि 1947 से खादी किसी भी प्रकार के कर से मुक्त रही है। वर्तमान में 5 से 12% के बीच विभिन्न खादी उत्पादों पर जीएसटी का अधिग्रहण पूरे देश में खादी ट्रेडर्स को प्रभावित करता है। । हालांकि, खादी धागा, गांधी टोपी और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।

केवीआईसी और विभिन्न खादी संस्थानों द्वारा की गई मांगों को ध्यान में रखते हुए, जीएसटी पैनल ने पहले ही खादी के साथ जुड़े कारीगरों, बुनकरों और कत्तिनों को लाभान्वित करने के लिए जीएसटी छूट के फायदा और नुकसान का विश्लेषण शुरू कर दिया है। केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्रा ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल खादी उद्योग के साथ जुड़े बुनकरों और कत्तिनों के लाभ के लिए विभिन्न खादी वस्तुओं पर करों (जो वर्तमान में 5 से 12 प्रतिशत के बीच है) का फिर से विश्लेषण कर रही है। यहां तक कि

वित्त मंत्री ने आर्थिक रूप से कई प्रकार से पिछड़े बुनकरों और कत्तिनों के वित्तीय विकास के लिए जीएसटी छूट देने का भी आश्वासन दिया था।"

जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए केवीआईसी द्वारा किए गए प्रयास

केवीआईसी के साथ जुड़ी संस्थाओं और केवीआईसी के अधिकारियों को जानकारी प्रदान करने की दृष्टि से, केवीआईसी द्वारा एक जीएसटी सलाहकार नियुक्त करना और आयोग के राज्य और विभागीय कार्यालयों में कार्यशालाओं और जागरूकता शिविरों का आयोजन कर कई सक्रिय कदम उठाए गए हैं ताकि प्रणाली में हुए परिवर्तन कुशलता से और प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके। श्री आनंद देसाई, जिन्हें केवीआईसी के लिए जीएसटी सलाहकार नियुक्त किया गया है, ने अगस्त के महीने में केंद्रीय कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष जीएसटी के कार्यान्वयन की वजह से बदलाव से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर एक प्रस्तुतिकरण भी दिया।

केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई के अलावा, राज्य कार्यालय, चेन्नई ने 21 जून, 2017 को एक जागरूकता बैठक का आयोजन किया जहां 44 खादी संस्थाओं ने भाग लिया, इसी तरह पश्चिम बंगाल में जीएसटी पर तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें क्रमशः 131, 17 और 130 संस्थाओं ने भाग लिया तथा ओडिशा में ३ जीएसटी कार्यक्रमों में, क्रमशः 58, 29 और 63 व्यक्तियों ने भाग लिया। कर्नाटक में संपन्न हुई कार्यशाला में 150 व्यक्तियों ने भाग लिया, लखनऊ में संपन्न हुई कार्यशाला में लगभग 50 संस्थाओं ने भाग लिया, जहां उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त आयुक्त, व्यापार कर द्वारा जीएसटी पर संस्थाओं को होने वाले संदेह का स्पष्टीकरण किया गया। मेघालय में, वहाँ केवल एक ही संस्था के सचिव के साथ चर्चा की गई है। मंडलीय कार्यालय, बीकानेर के तहत 38 संस्थाओं को शामिल किया गया, अहमदाबाद में 96 संस्थाओं ने भाग लिया, रांची में आयोजित कार्यशाला में 13 संस्थाओं ने भाग लिया, पंजाब और हरियाणा में संयुक्त रूप से कार्यशाला संपन्न हुई, जहां 96 संस्थाओं ने भाग लिया, नागालैंड में, केवल एक ही संस्था होने के कारण, सचिव के साथ चर्चा की गई।

इन सभी जागरूकता बैठकों और कार्यशालाओं में जीएसटी के सभी पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया। जीएसटी की पहली फाइलिंग अगस्त 2017 के महीने में की जाएगी।

विशेष रूप से आयोग के अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए केवीआईसी के प्रयास पूरे क्षेत्र में बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं और जिससे अधिकांश संस्थाएं पहले से ही जीएसटी के तहत पंजीकृत हो चुकी हैं या हो रही हैं। अब सभी रजिस्ट्रेशन पर रिटर्न की नियमित फाइलिंग अनिवार्य है।

और अंततः, 1561 पंजीकृत खादी संस्थाओं में से 666 संस्थानों को जीएसटी के तहत पंजीकृत किया गया है और 651 खादी संस्थाओं द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है।

टिप्पणी: जीएसटी और अन्य संबंधित मुद्दों पर अकसर पूछे जाने पर प्रश्नों को जागृति के जुलाई 2017 अंक में पढ़ा जा सकता है।

सन्दर्भ: केवीआईसी, जीएसटी वाट्सअप ग्रुप, जीएसटी सेल द्वारा प्रदान किये गए इनपुट और समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पर पोस्ट की गई जानकारी से संदर्भित।)

प्रेस कवरेज

इसके लिए सदन से माफी भी मांगी। पर भी लिख रहा है। शेष | पेज 12

भास्कर खास खादी कपड़े पर 5, रेडीमेड पर 12 और पॉली खादी पर 18 प्रतिशत जीएसटी, राष्ट्रीय ध्वज, गांधी टोपी और धागा में छूट

जीएसटी : आजादी के बाद पहली बार खादी पर टैक्स

प्रवीण जैन | कोटा

आजादी से पहले और बाद में पहली बार खादी पर टैक्स लगा दिया गया है। एक जुलाई से खादी भी जीएसटी के दायरे में आ गई है। राष्ट्रीय ध्वज, गांधी टोपी और धागे को इससे मुक्त रखा गया है। खादी के कपड़े से लेकर रेडीमेड और पॉली खादी पर 5 से 18 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ेगा। पिछले पांच दिन से शहर में खादी भंडारों पर बिक्री व प्रोडक्शन बंद है। हाड़ौती खादी ग्रामोद्योग समिति के अनुसार सादा खादी कपड़े पर 5, रेडीमेड खादी यानी एक हजार रुपए से अधिक खरीद, बिक्री पर 12% जीएसटी और पॉली कपड़ों पर 18 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा।

मोदी जैकेट 247 व नेहरू जैकेट 138 रु. महंगी

मोदी (होजरी जैकेट) और नेहरू जैकेट पर भी जीएसटी का असर दिखेगा। हाड़ौती खादी ग्रामोद्योग का कहना है कि मोदी जैकेट की रेट 2055 रुपए है जो 12 प्रतिशत जीएसटी के साथ 247 रुपए महंगी और नेहरू जैकेट की रेट 1150 से बढ़कर 1288 हो जाएगी। यानी ये 138 रुपए महंगी होगी।

इधर टैक्स तो उधर छूट रहेगी जारी

: खादी पर सालभर केंद्र सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को 15 प्रतिशत छूट दी जाती है। इसके अलावा गांधी जयंती से 31 जनवरी तक राज्य सरकार की ओर से 10 प्रतिशत अलग से छूट रहती है। कुल 25 प्रतिशत छूट मिलती है। जीएसटी लागू होने के बाद भी यह छूट उपभोक्ताओं को मिलती रहेगी।

पांच दिन से प्रोडक्शन और बिक्री बंद

खादी पर टैक्स के चलते पांच दिन से बिक्री और प्रोडक्शन बंद है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि टैक्स नहीं लगेगा। गांधी टोपी, राष्ट्रीय ध्वज और धागे को टैक्स फ्री किया है। इसके प्रभाव से खादी संस्थाएं खत्म जाएंगी।

-कमल किशोर शर्मा, सचिव, हाड़ौती खादी ग्रामोद्योग समिति कोटा

अब सरकार के फैसले का इंतजार

खादी ग्रामोद्योग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस संबंध में केंद्रीय वित्तमंत्री सहित अन्य से मिल चुके हैं। उन्हें आश्वासन दिया है। सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आजादी से पहले भी प्री-काउंसिल ने इस पर टैक्स लागू नहीं किया।

-रामदास शर्मा, अध्यक्ष, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ, जयपुर

भास्कर एक्सपर्ट

स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण ने गलत फैसला बताया

स्वतंत्रता सेनानी आनंद लक्ष्मण खांडेकर इस फैसले को गलत मानते हैं। वे कहते हैं बापू ने 1926 में चरखा संघ की स्थापना की तब का मेरा जन्म है। कोटा में 1964 में खादी की शुरुआत हुई थी। आजादी से पहले और बाद में कभी खादी पर टैक्स नहीं लगा है। इसमें गरीब लोगों की रोजी-रोटी चलती है। शुरुआत से कभी इन पर टैक्स नहीं लगा है।

---

feel that Jio's aggressive data plans could push customers towards consuming more video content on hand-held devices rather than on televisions. Dish TV was down nearly 6% while Hathway was down 2.6%, even

mercial launch in September 2016, telecom stocks have been witnessing heavy selling on each of the days that the new telco announced something new — either a service offering, a new tariff plan or a hardware — at ex-

Arvind inks pact with KVIC to officially use 'khadi' tag

TIMES NEWS NETWORK

Ahmedabad: In a bid to position India and Indianness globally in a premium way, Arvind Limited has signed an agreement with Khadi and Village Industries Commission (KVIC). The pact allows the Ahmedabad-based textile to retail conglomerate officially use 'khadi' mark for its fabric and products over the next five years.

Arvind is already produces denim made from khadi supplied by KVIC. "The agreement provides Arvind a right to officially use the word 'khadi' for our products. It gives us more power to grow the business to the next level. Through this association, we are aiming to take khadi denim to international market," said Punit Lalbhai, executive director, Arvind Ltd.

Already a global major in denim, the company expects to procure one million meters of khadi from KVIC every year and it is eyeing revenues of Rs 30-40 crore from khadi denim. "Right now most of our products are indigo (khadi denim) but we are expanding our product portfolio," he added.

According to Lalbhai, the group's vision is to build a substantially scalable supply chain platform, capable of servicing large international brand requirements. Several of Arvind's potential clients are major fashion brands which have expressed interest in creating their clothing lines around khadi denim.

"We also see this partnership as an employment creation vehicle, especially for women. If we are able to grow this market, we not only get premium positioning (for khadi) but we also generate employment. We also bringing hand spun an entire new audience and a scale," Lalbhai added.

"Khadi is a mission and we are committed to bring khadi to its prime glory as was visualised by Mahatma Gandhiji. The KVIC-Arvind initiative for launching khadi denim is a step in this direction," said KVIC chairman, Vinai Kumar Saxena.

"It gives us more power to grow the business to the next level. Through this association, we are aiming to take khadi denim to international market," said Punit Lalbhai, executive director, Arvind

---

...NOMIC TIMES
...ETT, COLEMAN & CO. LTD.
...w.et.nbt.in

खादी से हटेगा GST!

| जोसफ बर्नाड | नई दिल्ली |

खादी से बने कपड़ों पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) हट सकता है। मोदी सरकार इस पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। दरअसल, लघु उद्योग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को खादी पर से जीएसटी हटाने का प्रस्ताव भेजा है। मंत्रालय की ओर से भेजे प्रस्ताव में कहा गया है कि खादी काउंसिल ने जीएसटी लगाने पर आपत्ति जताई है। खादी काउंसिल का मानना है कि खादी पर जीएसटी लगाए जाने लाखों लोगों के रोजगार के प्रभावित होने का डर है। दरअसल पहली बार खादी को टैक्स के दायरे में लाया गया है। गौरतलब है कि जीएसटी के तहत खादी पर 5 फीसदी का टैक्स लगाया गया है। रेडीमेड खादी कपड़ों पर 12 फीसदी जीएसटी लगाया गया है। 1000 रुपये के ऊपर के कपड़ों पर 12 फीसदी जीएसटी लगाया गया है। मिक्स खादी पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया गया है।

खादी काउंसिल ने जीएसटी को लेकर सरकार के सामने कई सवाल उठाये हैं। उसने कहा है कि सरकार एक तरफ कहती है कि खादी प्रोडेक्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ उसने खादी प्रोडक्ट पर ही जीएसटी लगा दिया है। काउंसिल का कहना है कि जीएसटी का भार ज्यादा समय तक उठाया नहीं जा सकता है। कुछ समय बाद खादी के प्रोडेक्ट को महंगा करना ही पड़ेगा। ऐसे में इसकी बिक्री कम होने की आशंका है। इससे खादी का कुल कारोबार प्रभावित होगा। खादी काउंसिल के अनुसार सरकार को खादी प्रोडेक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए इस सेक्टर को इंसेंटिव देना चाहिए।

प्रेस कवरेज

Govt taxes Khadi for first time since Independence

KOTA: Khadi, a fabric often associated with India's freedom struggle, has so far been exempted from any kind of taxes. However, after GST, now Khadi too comes under the ambit of tax and traders in the state are worried that it will affect their business. Though Khadi yarn, Gandhi topi, India's national flag will not attract any tax under the GST regime, other apparels and Khadi products will have 5% -18% GST. There are 9 Khadi Bhandars in the Kota division whose trade has been hit since the launch of GST. These sell Khadi cloth, readymade apparels, including kurta pyjama, Nehru jackets, carpet and other products. "Business has been hit since the enforcement of GST from last six days. Customers are not buying khadi due to a rise in their prices," said Kamal Kishore Sharma, secy of Hadoti Khadi Gramodhyog Samiti. HTC

fromPageone

ECONOMIC TIMES
नवभारत टाइम्स

खादी से हटेगा GST!

जोसफ बर्नार्ड | नई दिल्ली

खादी से बने कपड़ों पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) हट सकता है। मोदी सरकार इस पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। दरअसल, लघु उद्योग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को खादी पर से जीएसटी हटाने का प्रस्ताव भेजा है। मंत्रालय की ओर से भेजे प्रस्ताव में कहा गया है कि खादी काउंसिल ने जीएसटी लगाने पर आपत्ति जताई है। खादी काउंसिल का मानना है कि खादी पर जीएसटी लगाए जाने लाखों लोगों के रोजगार के प्रभावित होने का डर है। दरअसल पहली बार खादी को टैक्स के दायरे में लाया गया है। गौरतलब है कि जीएसटी के तहत खादी पर 5 फीसदी का टैक्स लगाया गया है। रेडीमेड खादी कपड़ों पर 12 फीसदी जीएसटी लगाया गया है। 1000 रुपये के ऊपर के कपड़ों पर 12 फीसदी जीएसटी लगाया गया है। मिक्स खादी पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया गया है।

खादी काउंसिल ने जीएसटी को लेकर सरकार के सामने कई सवाल उठाये हैं। उसने कहा है कि सरकार एक तरफ कहती है कि खादी प्रोडेक्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ उसने खादी प्रोडक्ट पर ही जीएसटी लगा दिया है। काउंसिल का कहना है कि जीएसटी का भार ज्यादा समय तक उठाया नहीं जा सकता है। कुछ समय बाद खादी के प्रोडेक्ट को महंगा करना ही पड़ेगा। ऐसे में इसकी बिक्री कम होने की आशंका है। इससे खादी का कुल कारोबार प्रभावित होगा। खादी काउंसिल के अनुसार सरकार को खादी प्रोडेक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए इस सेक्टर को इंसेंटिव देना चाहिए।

पंजाब केसरी ई-पेपर
8/12

कश्मीर में 'राइज इन कश्मीर-2017' प्रदर्शनी शुरू

प्रदर्शनी का उद्‌घाटन करते केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह। (छ.ह.)

श्रीनगर, 3 जुलाई (मजीद): श्रीनगर के एस.के.आई.सी.सी. में 4 दिवसीय 'राइज इन कश्मीर-2017' प्रदर्शनी शुरू हो गई। प्रदर्शनी का उद्‌घाटन केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान सांसद शमशेर सिंह मन्हास, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की सदस्य (उत्तर भारत) डा. हिना भट्ट के साथ-साथ कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रदर्शनी का आयोजन करवाने में सांसद शमशेर सिंह मन्हास की मुख्य भूमिका रही है। इसके अलावा प्रदर्शनी में कई लोगों ने भाग लिया जिनमें किसान बोर्ड के उपाध्यक्ष डी.एस. चिब, भाजपा के राज्य मीडिया प्रभारी अल्ताफ ठाकुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक विनय कुमार, सहायक निदेशक अनिल कुमार शर्मा शामिल हैं।

इस अवसर पर बागवानी को देश में किसानों के लिए सबसे अधिक आय सृजनशील क्षेत्रों में से एक करार देते हुए राधा मोहन ने कहा कि केन्द्र सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए ध्यान केन्द्रित कर रही है। एस.के.आई.सी.सी. में संसा फाऊंडेशन द्वारा आयोजित 4 दिवसीय 'राइज इन कश्मीर-2017' प्रदर्शनी का उद्‌घाटन करने के बाद मंत्री ने कहा कि प्रदर्शनी का आयोजन करने का मकसद बागवानी क्षेत्र से जुड़े लोगों को केन्द्र एवं राज्य सरकारों की नीतियों और उपलब्धियों से जागरूक करना है। इस दौरान प्रदर्शनी के आयोजन करवाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले सांसद शमशेर सिंह मन्हास ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियों के आयोजन से लोगों को देश के विशाल विकासीय कार्यक्रम से परिचित कराना है। सांसद ने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदर्शनी में लगाए गए कई स्टॉलों का दौरा भी किया। प्रदर्शनी का आयोजन करने वाले संसा फाऊंडेशन के अध्यक्ष आनंद पाल ने कहा कि हमारा वीजन समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास करना है।

ગુજરાત માટે મહત્ત્વપૂર્ણ હોય તેવા કેટલા MOU ?

૧. અટીરા અને EDI વચ્ચે જીઓ ટેક્ષ્ટાઈલ્સ નેનો ફાઈબર અને કૌશલ્ય નિર્માણનો કરાર.
૨. અટીરા અને ગુજરાત સરકાર વચ્ચે નવા ઉદ્યોગ સાહસિકોને પ્રોત્સાહન આપવાનો કરાર.
૩. પી કેકસીલ અને NID વચ્ચે માહિતીનાં આદાન-પ્રદાન અંગેનો કરાર.
૪. વિદ્યાર્થીઓનો જ્ઞાન-આદાન-પ્રદાન માટે નિફટ અને EDI વચ્ચેનો કરાર.
૫. નિફટ અને KVIC વચ્ચે ખાદી સંસ્થાઓનાં વિકાસ અને તાલીમ વિષયનો કરાર.
૬. મંત્રી અને SVNIT વચ્ચે સંશોધનાત્મક પ્રવૃત્તિ માટેનો કરાર.

प्रेस कवरेज

KVIC seeks compensation from Fabindia over khadi

John Sarkar & Sidhartha | TNN

New Delhi: Taking the battle over khadi a step further, the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has sought compensation from ethnic retailer Fabindia for selling non-khadi garments as 'khadi' products in its stores.

While KVIC sought payment from Fabindia for indulging in alleged "unfair practice", sources told TOI that the government agency could have lost around ₹100-200 crore business. So far, the compensation amount has not been stated.

"This is highly speculative, with no basis in fact. Fabindia has been sustaining artisanal livelihoods for the last 57 years. We would like to clarify that Fabindia sources handcrafted products, including fabric, from artisans across the country. We have been in conversation with KVIC on certification since 2015," a Fabindia spokesperson told TOI. Under the law, khadi products can only be sold if they are sourced from approved units. When contacted, KVIC chairman VK Saxena refused comment saying this was a business matter. Sources said that the agency responsible for promoting khadi and village industries sought compensation earlier this month, while rejecting Fabindia's application for selling "khadi" products as the foreign investor-backed entity refused to accept the terms and conditions. Sources said that despite KVIC's warning as far back as 2015, Fabindia was allegedly selling non-khadi products as 'khadi' till January this year. Initially, there were negotiations between both the organisations to allow Fabindia to use the khadi trademark, something that has been granted to Raymond and Arvind Mills.

FRIDAY, JULY 14, 2017 (PAGE 5)

Minister for Industries & Commerce, Chander Parkash Ganga calling on Union Minister for MSME, Kalraj Mishra at New Delhi.

Ganga calls on Union Minister for MSME

Excelsior Correspondent

NEW DELHI, July 13: Minister for Industries and Commerce, Chandra Parkash Ganga called on Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Kalraj Mishra, here today.

He discussed various issues pertaining to development of industries in the State.

The issue of expediting setting up of Technology Centre at Samba came up for discussion. It was conveyed to the Union Minister that the State Government has already allotted 80 kanals of land at Samba for setting up of the Technology Centre.

The Union Minister was also requested to enhance the targets for Prime Minister Employment Generation Program (PMEGP) for the State. The PMEGP program is very popular scheme wherein subsidy ranging from 25-35 percent is provided by the Government to the entrepreneur.

Ganga thanked the Union Minister for sanctioning three clusters for the valley under the Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI). He also thanked the Ministry for sanctioning funds for State level exhibition to be held at Leh being organized by the Khadi and Village Board of the State Government.

The Union Minister assured that the issues will be taken into consideration for fostering industrial growth in State.

It was also felt that the State should identify and send more clusters to the Central Government for sanction and that the traditional art and skill need to be encouraged and preserved.

'Khadi' sale: KVIC wants Fabindia to pay damages

John Sarkar & Sidhartha | TNN

New Delhi: Taking the battle over khadi a step further, the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has sought compensation from ethnic retailer Fabindia for selling non-khadi garments as khadi products in its stores.

While KVIC sought payment from Fabindia for indulging in alleged "unfair practice", sources told **TOI** that the government agency could have lost around Rs 100-200 crore business due to this. So far, KVIC has not quoted any compensation amount.

"This is highly speculative, with no basis in fact. Fabindia has been sustaining artisanal livelihoods for the last 57 years. We would like to clarify that Fabindia sources handcrafted products, including fabric, from artisans across the country. We have been in conversation with KVIC on certification since 2015," a Fabindia spokesperson told **TOI**.

Under the law, khadi products can only be sold if they are sourced from approved units. When contacted, KVIC chairman V K Saxena refused to comment, saying this was a business matter.

Sources said the agency responsible for promoting khadi and village industries sought compensation earlier this month, while rejecting Fabindia's application for selling khadi products as the foreign investor-backed entity refused to accept the terms and conditions.

Sources said despite KVIC's warning in 2015, Fabindia was allegedly selling non-khadi products as khadi till January this year.

Initially, there were negotiations between both the organisations to allow Fabindia to use the khadi trademark, something that has been granted to Raymond and Arvind Mills.

Khadi India
नरेन्द्र मोदी
प्रधान मंत्री
इस रक्षाबंधन पर
दो बहनों का सहयोग करें
एक वह आप के लिए जानी पहचानी है और
आपके परिवार की प्रिय है
दूसरी, वह जो आप के लिए अज्ञात है और
अपने परिवार के लिए सहयोगी आजीविका कमाती है
रक्षाबंधन पर उन दोनों को एक उपहार दें
अपनी ज्ञात बहन को खादी कूपन उपहार में दें,
जो कपड़ा बुनने वाली दूसरी गुमनाम बहन को आजीविका प्रदान करेगा
एक के लिए प्यार, दूसरे के लिए आजीविका...
एक को उपहार, दूसरी को सहकार
कलराज मिश्र
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री,
भारत सरकार
हरिभाई पारथीभाई चौधरी
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री,
भारत सरकार
गिरिराज सिंह
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री,
भारत सरकार
दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और भोपाल में उपलब्ध
विनय कुमार सक्सेना
अध्यक्ष
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय,भारत सरकार
www.kvic.org.in
संपर्क : दिल्ली: 011-23362231/23360902, कोलकाता: 033-25705895 , मुंबई : 022-26704454 और भोपाल : 0755-2554657

Khadi India
Narendra Modi
Prime Minister
This Rakshabandhan
Support TWO sisters
One is KNOWN to you and
she is the darling of your family
The other one is UNKNOWN to you and
earns life support for her family
Give both of them a gift this RAKSHABANDHAN.
Give your KNOWN sister a KHADI GIFT COUPON. That
will sustain your UNKNOWN sister who weaves the fabric
Love for one, livelihood for another
Kalraj Mishra
Minister for MSME
Govt. of India
Haribhai Parthibhai Chaudhary
Minister of State for MSME
Govt. of India
Giriraj Singh
Minister of State for MSME
Govt. of India
Available at Delhi, Kolkata, Mumbai & Bhopal
Vinai Kumar Saxena
Chairman
Khadi and Village Industries Commission
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Govt. of India
www.kvic.org.in
Contact - Delhi- 011- 23362231/23360902, Kolkata-033-25705895, Mumbai-022-26704454, Bhopal-0755-2554657.

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक ई-मासिक पत्रिका
Khadi India
स्वस्थ जीवन का प्राकृतिक मार्ग
बहुमुखी एवं मनमोहक
खादी डिजाइनर परिधानों
जैसे पर्यावरणानुकुल उत्पादों का एक स्थान
खादी वस्त्र, हर्बल उत्पाद,
रसायन रहित अगरबत्तियां,
विषाणु रहित एवं एन्टी फंगल शहद,
नैसर्गिक एवं आयुर्वेदिक सौन्दर्य उत्पाद
जैसे साबुन एवं शैम्पू,
हाथ कागज एवं पारंपरिक हस्तशिल्प
तथा अन्य उत्पादों की विशाल श्रृंखला
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड़, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400 056 वेबसाईट : www.kvic.org.in
भारत में हम रोजगार सृजन करते है तथा समृद्धि बुनते है